

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 3-2/2018 dated 07.07.2021 as required under clause (3) of article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

No.Shram (A) 3-2/2018

Dated Shimla-2, the

07th July, 2021

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 67 of the Code on Wages, 2019 (No. 29 of 2019), the Governor of Himachal Pradesh, proposes to make the following rules to implement the provisions of the said Code on Wages, and in supersession of the-

- (i) The Himachal Pradesh Payment of Wages Rules, 1979;
- (ii) The Himachal Pradesh Payment of Wages (Procedure) Rules, 1979;
- (iii) The Himachal Pradesh Minimum Wages Rules, 1978; and
- (iv) The Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020 to the extent these rules are made in exercise of the powers conferred by sections 29 and 30 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and section 26 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936) and are applicable accordingly; as made by the State Government in exercise of the powers conferred by the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) as the case may be; are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh for information of general public;

Any interested persons who has any Objection or Suggestion with regard to these rules, may send the same to Labour Commissioner, Himachal Pradesh, New Himrus Building, Near Himland Hotel, Shimla-171001 within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e-gazette) of Himachal Pradesh ;

The Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period specified above shall be taken into the consideration by the State Government before finalizing the said draft rules, namely:-

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

1. Short title, extent and commencement - 1. These rules may be called the Code on Wages (Himachal Pradesh) Rules, 2021.

2. These rules shall extend to the whole State of Himachal Pradesh.

3. They shall come into force after the date of their final publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.

2. Definitions-(1) In these rules, unless the subject or context otherwise requires, —

(a)“appeal” means an appeal preferred under sub-section (1) of section 49;

(b) “appellate authority” means the appellate authority appointed by the State Government under sub- section (1) of section 49;

(c)“authority” means the authority appointed by the State Government under sub-section (1) of section 45;

- (d) “Board” means the State Advisory Board constituted by the State Government under sub-section (1) of section 42;
- (e) “Chairperson” means the chairperson of the Board;
- (f) “Code” means the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);
- (g) “committee” means a committee constituted by the State Government under clause (a) of sub-section (1) of section 8;
- (h) “day” means a period of 24 hours beginning at mid-night;
- (i) “Form” means a form appended to these rules;
- (j) “highly skilled occupation” means an occupation which requires a specific level of perfection and requisite competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires an employee to assume full responsibility for his judgment or decision involved in the execution of such occupation;
- (k) “Inspector-cum-Facilitator” means a person appointed by the State Government, by notification under sub-section (1) of section 51;
- (l) “member” means a member of the Board and includes its Chairperson;
- (m) “Municipal Corporation or Municipal Council or Nagar Panchayat are” means the areas notified as Municipal Corporation/Municipal Council/Nager panchyat by the Urban Development Department of Himachal Pradesh;
- (n) “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;
- (o) “registered trade union” means a trade union registered under Industrial Relations Code, 2020 (Contract Act No. 35 of 2020);
- (p) “rural area” means the area which does not fall under the Municipal Corporation or Municipal Council or Nagar Panchayat areas;
- (q) “schedule” means the schedule appended to these rules;
- (r) “section” means a section of the Code;
- (s) “semi-skilled occupation” means an occupation which in its performance requires the application of skill gained by the experience on job which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervision over the unskilled occupation;
- (t) “skilled occupation” means an occupation which involves skill and competence in its performance through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiating and judgment;

(u) “State Government” means the Government of Himachal Pradesh; and

(v) “unskilled occupation” means an occupation which in its performance requires the application of simply the operating experience and involves no further skills;

(2) All other words and expressions used herein in these rules but not defined shall have the meanings respectively assigned to them under the Code.

CHAPTER II

Minimum wages

3. Manner of calculating the minimum rate of wages.—(1) For the purposes of sub-section (5) of section 6, the minimum rate of wages shall be fixed on the day basis keeping in view the following criteria, namely:—

- (I) the standard working class family which includes a spouse and two children apart from the earning worker; an equivalent of three adult consumption units;
- (II) a net intake of 2700 calories per day per consumption unit;
- (III) 66 meters cloth per year per standard working class family;
- (IV) housing rent expenditure to constitute 10 per cent of food and clothing expenditure;
- (V) fuel, electricity and other miscellaneous items of expenditure to constitute 20 percent of minimum wage; and
- (VI) expenditure for children education, medical requirement, recreation and expenditure on contingencies to constitute 25 percent of minimum wage;

(2) when the rate of wages for a day is fixed, then, such amount shall be divided by eight for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by twenty six for fixing the rate of wages for a month and in such division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored.

4. Norms for fixation of minimum rate of wages.—(1) While fixing the minimum rate of wages under section 6, the State Government shall divide the concerned geographical area into four categories, that is to say the Municipal Corporation Municipal Council Nagar Panchayat areas notified by the Urban Development Department Himachal Pradesh and Rural Areas.

(2) The State Government shall constitute a technical committee for the purpose of advising the State Government in respect of skill categorization, which shall consist of the following members, namely:—

- (i) Labour Commissioner (Himachal Pradesh) - Chairperson;
- (ii) Joint Labour Commissioner, Himachal Pradesh dealing with the wages - Member;
- (iii) a representative from the Technical Education Department, Himachal Pradesh - Member;
- (iv) two technical experts in wage determination as nominated by the State Government-Members; and
- (v) Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh dealing with the wages - Member Secretary.

(3) The State Government shall, on the advice of the technical committee referred to in sub-rule (2), categorize the occupations of the employees into four categories that is to say unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled by modifying, deleting or adding any entry in the categorization of such occupations specified in Schedule A.

(4) The technical committee constituted under sub-rule (2) shall while advising the State Government under sub-rule (3) take into account, to the possible extent, the national classification of occupation or national skills qualification frame work or other similar frame work for the time being formulated to identify occupations.

5. Time internal for revision of dearness allowance- Endeavour shall be made so that the cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of essential commodities and concession rate shall be computed once before 1st April and then before 1st October in every year to revise the dearness allowance payable to the employees on the minimum wages.

6. Number of hours of work which shall constitute a normal working day.—

(1) The normal working day under clause (a) of sub-section (1) of section 13 shall be comprised of eight hours of work and one or more intervals of rest which in total shall not exceed one hour.

(2) The working day of an employee shall be so arranged that inclusive of the intervals of rest, if any, it shall not spread over more than twelve hours on any day.

(3) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall, in the case of an employee employed in agricultural employment, be subject to such modifications as may, from time to time, be determined by the State Government.

(4) Nothing in this rule shall be deemed to affect the provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 (Central Act No. 37 of 2020)

7. Weekly day of rest.— (1) Subject to the provisions of this rule, an employee shall be allowed a day of rest every week (hereinafter referred to as “the rest day”) which shall ordinarily be Sunday, but the employer may fix any other day of the week as the rest day for any employee or class of employees:

Provided that an employee shall be entitled for the rest day under this sub-rule, if he has worked under the same employer for a continuous period of not less than six days:

Provided further that the employee shall be informed of the day fixed as the rest day and of any subsequent change in the rest day before the change is effected, by display of a notice to that effect in the place of employment at the place specified by the Inspector-cum-Facilitator in this behalf.

Explanation. - For the purpose of computation of the continuous period of not less than six days specified in the first proviso to this sub-rule, any day on which an employee is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work, a day on which an employee is laid off on payment of compensation under the Industrial Relation Code, 2020 (Central Act 35 of 2020) and any leave or holiday, with or without pay, granted by the employer to an employee in the period of six days immediately preceding the rest day, shall be deemed to be days on which the employee has worked.

(2) Any such employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or will have a substituted rest day for a whole day on one of the five days immediately before or after the rest day:

Provided that no substitution shall be made which will result in the employee working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

(3) Where in accordance with the foregoing provisions of this rule, any employee works on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the five days before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(4) An employee shall be granted-

- (a) for rest day wages calculated at the rate applicable to the next preceding day; and
- (b) where he works on the rest day and has been given a substituted rest day,

then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day:

Provided that where-

- (i) the minimum rate of wages of the employee as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty- six; or
- (ii) the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee, then, no wages for the rest day shall be payable; and
- (iii) the employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable to him at the overtime rate;

and, if any dispute arises whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, the Labour Commissioner, Himachal Pradesh or the Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh may, on application made to him in this behalf, decide the same, after giving an opportunity to the parties concerned to make written representations:

Provided further that in case of an employee governed by a piece-rate system, the wages for the rest day, or the substituted rest day, as the case may be, shall be such as the State Government may, from time to time determine having regard to the minimum rate of wages fixed under the Code, in respect of the employment.

Explanation.-In this sub-rule 'next preceding day' means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the next preceding day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

(5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favourable terms, if any, to which an employee may be, entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service, and in such a case, the employee shall be entitled only to more favorable terms aforesaid.

Explanation.- For the purposes of this rule, 'week' shall mean a period of seven days beginning at midnight of Saturday night.

8. Night shifts.—Where an employee in an employment works on a shift which extends beyond midnight, then, -

- (a) a rest day for the whole day for the purposes of rule 6 shall, in this case means a period of twenty- four consecutive hours beginning from the time when his shift ends; and
- (b) the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee was engaged in work shall be counted towards the previous day.

9. The extent and conditions applicable to certain class of employees- Class of employees referred to under clauses (a) to (e) of sub-section (2) of section 13, the provisions of rules 6, 7 and 8 shall apply subject to the condition that, –

- (i) the spread over of the hours of work of the employee shall not exceed 16 hours in any day; and
- (ii) the actual hours of work excluding the intervals of rest and the periods of inaction during which the employee may be on duty but is not called upon to display either physical activity or sustained attendance shall not exceed nine hours in any day.

10. Longer wage period.-The longer wage period for the purposes of minimum rate of wages under section 14 shall be by the month.

CHAPTER III PAYMENT OF WAGES

11. Recovery of Excess Amount.-Where the total deductions authorized under sub-section (2) of section 18 exceed fifty percent of the wages of an employee, the excess shall be carried forward and recovered from the wages of succeeding wage period or wage periods, as the case may be, in such installments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty per cent. of the wages of the employee in that month.

12. The authority Competent to Impose Fine. - The Labour Commissioner, Himachal Pradesh shall be the competent authority for the purposes of imposing fine under sub- section (1) of section 19.

13. The manner of exhibiting the notice.- A notice referred to in sub-section (2) of section 19 shall be displayed at the conspicuous places in the premises of the work place in which the employment is carried on, so that every concerned employee would be able to easily read the contents of the notice and a copy of the notice shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction.

14. The procedure for imposition of Fine.-The employer shall give an intimation in writing specifying therein the detailed particulars for obtaining the approval of the imposition of fine to the Labour Commissioner, Himachal Pradesh referred to in rule 10 who shall, before granting or refusing the approval, give opportunity of being heard to the employee and the employer concerned.

15. Intimation of deduction.-(1)Where an employer makes any deduction for absence from duty in pursuance of the proviso to sub-section (2) of section 20, he shall make intimation of such deduction to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction within ten days from the date of such deduction explaining therein the reason of such deduction.

(2) The Inspector-cum-Facilitator shall, after receiving intimation under sub-rule (1), examine such intimation and if he finds that the explanation given therein is in contravention of any provision of the Code or the rules made there- under, he shall initiate appropriate action under the Code against the employer.

16. Procedure for deduction for damage or Loss.-Any employer desiring to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of section 21 from the wages of an employee shall,-

- (i) explain to the employee personally and also in writing the damage or loss of goods expressly entrusted to the employee for custody or for loss of money for which he is required to account and how such damages or loss is directly attributable to the neglect or default of the employee; and

- (ii) Thereafter, give the employee an opportunity to offer any explanation deduction for any damage or loss shall be intimated to the employee within fifteen days from the date of such deduction.

17. Conditions regarding recovery of advance.-The recovery, as the case may be of,-

- (i) advances of money given to an employee after the employment began under clause (b) of section 23; or

- (ii) advances of wages to an employee not already earned under clause (c) of section 23,

shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in installments determined by the employer, so as any or all installments in a wage period shall not exceed fifty percent of the wages of the employee in that wage period and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in Form-I.

18. Deduction for recovery of loans.-Deductions for recovery of loans granted for house building or other purposes approved by the State Government, and the interest due in respect thereof shall be, subject to any direction made or circular issued by the State Government from time to time regulating the extent to which such loans may be granted and the rate of interest shall be payable thereon.

CHAPTER IV

State Advisory Board

A. Procedure of State Advisory Board under sub-section (10) of section 42

19. Constitution of the Board.-(1) The Board shall consist of the persons to be nominated by the State Government representing employers and employees as specified in clauses (a) and (b) of sub-section (6) of section 42 and independent persons as specified in clause (c) of sub-section (6) of Section 42.

(2) The persons representing employers as referred to in clause (a) of sub-section (6) of section 42 shall be six and the persons representing employees referred to in clause (b) of this sub-section shall also be six.

(3) The independent persons specified in clause (c) of sub-section (6) of section 42 to be nominated by the State Government shall consist of the following, namely:-

- (i) the Chairperson;
- (ii) one Member of State Legislative Assembly;
- (iii) two members each of whom, shall be a professional in the field of wages and labour related issues; and
- (iv) one member who is or has been a presiding officer of an Industrial Tribunal constituted by the State Government under section 7A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947);

(4) The State Government shall, while nominating the members of the Board, take into account that the independent members under sub-rule (3) shall not exceed one-third of the total members of the Board and one-third of the members of the Board shall be women.

20. Additional functions of the Board.- In addition to the functions specified in sub-section (4) of section 42, the Board on reference by the State Government shall advise the Government on the issue relating to the fixation of minimum wages in respect of-

- (i) working journalists as defined in clause (f) of section 2 of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955); and
- (ii) sales promotion employees as defined in clause (d) of section 2 of the Sale Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (11 of 1976).

21. Meeting of the Board. - The Chairperson may, subject to the provisions of rule 22, call a meeting of the Board, at any time he thinks fit:

Provided that on requisition in writing from not less than one half of the members, the Chairperson shall call a meeting within thirty days from the date of the receipt of such requisition.

22. Notice of meetings. - The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be conducted at the meeting shall be sent to each member by registered post and electronically at least fifteen days before the date fixed for such meeting:

Provided that in the case of an emergent meeting, notice of seven days only may be given to every member.

23. Functions of Chairperson. – The Chairperson shall,-

- (i) preside at the meetings of the Board;

Provided that in the absence of the Chairperson at any meeting, the members shall elect from amongst themselves by a majority of votes, a member who shall preside at such meeting;

- (ii) decide agenda of each meeting of the Board; and
- (iii) where in the meeting of the Board, if any issue has to be decided by voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the meeting.

24. Quorum. - No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third of the members and at least one representative member each of both the employers and an employee are present:

Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of the original meeting and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members present:

Provided further that the date, time and place of such adjourned meeting shall be intimated to all the members electronically or by a registered post.

25. Disposal of business of the Board.- All business of the Board shall be considered at a meeting of the Board, and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by the circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members:

Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso shall be taken, unless supported by not less than two-thirds majority of the members.

26. Method of voting.- Voting in the Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot, or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairperson may decide.

27. Proceedings of the meetings.- (1) The proceedings of each meeting of the Board showing inter alia the names of the members present thereat shall be forwarded to each member and to the State Government as soon after the meeting as possible, and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

28. Summoning of witnesses and production of documents. - (1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document.

(2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses incurred by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil court.

29. Appointment of the committees.- The State Government may constitute as many committees under clause (a) of sub-section (1) of section 8 as it considers necessary for the purposes specified in that clause.

B. Terms of office of members of the Board under sub-section (11) of section 42

30. Term of office of members of the Board.-(1) The term of office of the Chairperson or a member, as the case may be, shall be normally two years commencing from the date of his appointment or nomination, as the case may be.

Provided that such Chairperson or a member shall, notwithstanding the expiry of the said period of two years, continue to hold office until his successor is appointed or nominated, as the case may be.

(2) An independent member of the Board nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by respective such other official members.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), and (3), the members of the Board shall hold office during the pleasure of the State Government.

31. Travelling allowance.-The Chairman and every member of the Board, shall be entitled to draw travelling and halting allowance for any journey performed by him in connection with his duties at the rates and subject to the conditions applicable to Class-1 officer of the State Government.

32. Officers and staff. - The State Government may provide a Secretary not below the rank of Secretary to the Government of Himachal Pradesh, other officers and staff to the Board, as it may think necessary for the functioning of the Board.

33. Eligibility for re-nomination of the members of the Board. - An outgoing member shall be eligible for re-nomination for the membership of the Board for not more than total two terms.

34. Resignation of the Chairperson and other members of the Board.-(1) A member of the Board, other than the Chairperson, may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign from his membership and the Chairperson may resign by a letter addressed to the State Government.

(2) A resignation shall take effect from the date of communication of its acceptance or on the expiry of thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.

(3) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairperson shall submit a report to the State Government immediately and the State Government shall, then, take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

35. Cessation of membership.- If a member of the Board, fails to attend three consecutive meetings, without prior intimation to the Chairperson, he shall, cease to be a member thereof.

36. Disqualification.- (1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the Board.

- (i) if he is declared to be of unsound mind by a competent court; or
- (ii) if he is an un-discharged insolvent; or
- (iii) if before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude.

(2) If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the decision of the State Government thereon shall be final.

CHAPTER V

PAYMENT OF DUES, CLAIMS, etc.

37. Payment of undisturbed dues under clause (a) of sub-section (1) of section 44.- Where any amount payable to an employee under the Code is due after his death or on account of his whereabouts not being known, and the amount could not be paid to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date the amount had become payable, then, such amount shall be deposited by the employer with the Labour Commissioner, Himachal Pradesh who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after ascertaining his identity within two months of the date on which the amount was so deposited with him.

38. Deposit of the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44.-(1) Where any amount payable to an employee under this Code remains undisbursed because either no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amounts could not be paid to the nominee of employee until the expiry of six months from the date the amount had become payable, all such amounts shall be deposited by the employer with the Labour Commissioner, Himachal Pradesh or Joint Labour Commissioner, Himachal Pradesh before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of six months.

(2) The amount referred to in sub-rule (1) shall be deposited by the employer with the Labour Commissioner, Himachal Pradesh or Joint Labour Commissioner, through bank transfer or through a crossed demand draft obtained from any scheduled bank in India drawn in favour of such Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

39. Manner of dealing with the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44. —(1) The amount referred to in sub rule (1) of rule 37 (hereinafter in this rule referred to as the amount) deposited with the Labour Commissioner, Himachal Pradesh or Joint Labour Commissioner, Himachal Pradesh shall remain with him and be invested in the Central or State Government Securities or deposited as a fixed deposit in a scheduled bank.

(2) The Labour Commissioner, Himachal Pradesh will exhibit, as soon as maybe possible, a notice containing such particulars regarding the amount as he considers sufficient for information at least for fifteen days on the notice board and also publish such notice in any two newspapers circulating in the language commonly understood in the area in which undisbursed wages were earned.

(3) Subject to the provision of sub-rule (4), the Labour Commissioner, Himachal Pradesh shall release the amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may be, in whose favour Labour Commissioner, Himachal Pradesh has decided, after giving the opportunity of being heard the amount to be paid.

(4) If the undisbursed amount remains unclaimed for a period of seven years, the same shall be dealt with in the manner as directed by the State Government from time to time in this behalf.

CHAPTER VI THE FORMS, REGISTERS AND WAGE SLIP

40. The form of a single application. – A single application, may be filed under sub-section (5) of section 45 in Form-II along with documents specified in such Form.

41. Appeal.- Any person aggrieved by an order passed by the authority under sub-section (2) of section 45 may prefer an appeal under sub-section (1) of section 49 in Form-III, along with documents mentioned by the appellant in such form **along with awarded amount by the authority through Demand Draft/Electronic Form**, to the appellate authority having jurisdiction.

42. Form of register, etc.-(1) All fines and all realizations thereof referred to in sub-section (8) of section 19 shall be recorded in a register to be kept by the employer in Form – I electronically or otherwise and the authority referred to in sub-section (8) shall be the Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

(2) All deductions and all realizations referred to in sub-section (3) of section 21 shall be recorded in a register to be kept by the employer in Form- I electronically or otherwise.

(3) Every employer of an establishment to which the Code applies shall maintain registers under sub-section (1) of section 50 in Form I and Form IV, electronically or otherwise.

43. Wage slip.-Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise to the employees in Form V under sub-section (3) of section 50 on or before payment of wages.

44. The manner of imposing fine under sub-section (1) of section 56.-(1)An accused person desirous of making composition of offence under sub-section (1) of section 56 may make an application in Form VI electronically or otherwise to the Gazetted Officer notified under said sub-section (1).

(2) The Gazetted Officer referred to in sub-rule (1), shall, on receipt of such application, satisfy himself as to whether the offence is compoundable or not under the Code and if the offence is compoundable and the accused person agrees for the composition, compromise the offence for a sum of fifty per cent of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within the time specified in the order of composition issued by such officer.

CHAPTER VII MISCELLANEOUS

45. Timely Payment of Wages.-Where the employees are employed in an establishment through contractor, then, the company or firm or association **or** any other person who is the proprietor of the establishment shall pay to the contractor the amount payable to him or it, as the case may be, before the date of payment of wages so that payment of wages to the employees shall be made positively in accordance with the provisions of section 17.

Explanation. - For the purpose of this rule, the expression “firm” shall have the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932).

46. Inspection scheme. – For the purposes of the Code and these rules, there shall be formulated an inspection scheme by the Labour Commissioner, Himachal Pradesh with the approval of the State Government.

By Order

Ram Subhag Singh

Addl. Chief Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)3-2/2018 Dated Shimla-2, the 07.07.2021

Copy for information and necessary action to:-

1. Advisor cum Pr. PS to the Hon’ble Chief Minister, HP, Shimla-2
2. The Spl. PS to the Hon’ble Industries and Labour & Employment Minister, HP, Shimla-2
3. The PS to Pr. Private Secretary to the Hon’ble Chief Minister, HP, Shimla-2
4. The Pr. PS to Chief Secretary H.P.
5. All the Administrative Secretaries, Govt. of H.P.
6. The Addl. L.R.-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P.
7. The Labour Commissioner-cum Director of Employment, H.P. Shimla.
8. The Director, Labour Bureau Indian Government, Shimla-4
9. All the Heads of Departments, Himachal Pradesh.
10. All Deputy Commissioners in H.P.
11. Guard File.

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh

(Ph. No. 0177 2880551)

FORM-I
(See Rules 16 and 42)

Register of Wages, Overtime, Fine, and Deduction for damage and Loss

Name of the Establishment:

Name of the Employer:

Name of the Owner:

PAN/TAN of the Employer:

Labour Identification Number (LIN):

Sr. No. in Employee Register	Name of the employee	Designation / Department	Duration of Payment of Wages (Monthly/ Fortnightly /Weekly/Daily/ Piece rated)	Wage Period From- To	Total no. of days worked during the period	Total overtime (hours worked or production in case of piece workers)	Rates of wages		
							Basic	DA	Allowances
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Overtime earning	Nature of acts and omissions for which fine imposed with date	Amount of fine imposed	Damage or loss caused to the employer by neglect or default of the employee	Amount of deduction from wages	Total amount of wages paid	Date of Payment	Attendance	
							Date	Signature
11	12	13	14	15	16	17	18	19

FORM-II
[See rule 49]

[SINGLE APPLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45]
BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB SECTION (1) OF SECTION 45
OF THE CODE ON WAGES, 2019 (29 OF 2019)

FOR..... AREA.....

Application No of 20.....

Between ABC and (State the number).....other Applicant

(Through employees concerned or registered trade union or Inspector- cum- Facilitator

Address.....

And

XYZ.....

.....

Address.....

The application states as follows:

- (1) The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed fromto..... as.....(category) in.....(establishment) Shri/M/s.....engaged in(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.
- (2) The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(1) of the Code on Wages, 2019.
- (3) (a)The applicant(s) has/ have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their category (categories) of employment(s) under the Code by Rs.... Per day for the period(s) from.....to.....
(b) The applicant(s) has/ have not been paid wages at Rs..... Per day for the weekly days of rest from to...
(c) The applicant(s) has/ have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from.....to....
(d)The applicant(s) has/have not been paid wages for period fromto.....
(e) Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicant(s) as per details specified in the annexure appended with this application.
(f)The applicant(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year

- (4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought byhim/ them on each amount as under:
(a) Rs.....
(b) Rs.....
(c) Rs.....
Total Rs.....

(5) The applicant(s), therefore, pray(s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code on Wages, 2019 for;

(a) payment of the difference between the wages payable under the Code and the wages actually paid,

(b) payment of remuneration for the days of rest

(c) payment of wages at the overtime rates,

(d) compensation amounting to Rs.

(6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated.....

Signature or thumb-impression of the employed person(s), or official of a registered trade union duly authorized or Inspector- cum- Facilitator.

Note: The applicant(s), if required, may append annexures containing details, with this application.

FORM III

(See rule 41)

Appeal under Section 49(1) of the Code on Wages, 2019 Before The Appellate Authority under the Code on Wages, 2019

A.B.C

Address APPELLANT

Vs.

C.D.E.

Address RESPONDENT

DETAILS OF APPEAL:

1. Particulars of the order against which the appeal

is made : Number and date :

The authority who has passed the impugned order:

Amount awarded:

Compensation awarded , if any :

2. Facts of the case :

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact).

3. Grounds for appeal :

4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any Appellate Authority:

The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this appeal has been made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.

5. Reliefs sought :

In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s) :— [Specify below the relief(s) sought]

6. List of enclosures:

1.

2.

3.

4.

..... Date :

Place :

Signature of the appellant.

For office use

Date of

filing or

Date of receipt by post

Registration No.

Authorized Signatory

FORM IV
[See rule 42(3)]
EMPLOYEE
REGISTER

Name of the Establishment :

Name of the Employer:

Name of the Owner :

PAN/TAN of the Employer:

Labour Identification Number (LIN):

Sl. No.	Employee Code	Name	Surname	Gender	Father's / Spouse Name	Date of Birth	Nationality	Education Level	Date of Joining	Designation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Category (HS/S/SS/US)	Type of employment	Mobile No.	UAN	PAN	ESIC IP No.	AADHAAR	Bank A/c Number	Bank	Branch (IFSC)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Present Address	Permanent Address	Service book No.	Date of Exit	Reason for Exit	Mark of Identification	Photo	Specimen Signature/Thumb Impression	Remarks
22	23	24	25	26	27	28	29	30

*(Highly Skilled/Skilled/Semi skilled/Unskilled)

FORM V
[See rule 43]
WAGE SLIP

Date of issue:

Name of the Establishment..... Address.....Period.....

1. Name of employee :
2. Father's /Spouse name :
3. Designation :
4. UAN:
5. Bank Account No.:
6. Wage period:
7. Rate of wages payable: a.) Basic b.)D.A. c.) other allowances
8. Total attendance/unit of work done:
9. Overtime wages:
10. Gross wages payable :
11. Total deductions : a.) PF b). ESI c.) Others
12. Net wages paid:

Employer / Pay-in-charge signature

FORM VI

[See rule 44]

APPLICATION UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 56 FOR COMPOSITION OF OFFENCE

- 1. Name of applicant :
- 2. Father's / Spouse name :
- 3. Address of the applicant :
- 4. Particulars of the offence:

.....
.....
.....

- 5. Section of the Code under which the offence is committed :

- 6. Maximum fine provided for the offence under the Code

- 7. Whether prosecution against the applicant is pending or not

- 8. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to the offence. If yes, then, full details of the prior offence.

.....
.....
.....

- 9. Any other information which the applicant desires to provide
-
.....
.....

Dated:

Applicant
(Name and signature)

Schedule A see**(see rule 4 (3))**

S.No.	UNSKILLED
1	Beldar
2	Calf boy
3	Cattleman
4	Cleaner (Motor shed, Tractor, Cattle, Yard, M.T)
5	Collecting loose fodder
6	Dairy coolie
7	Mazdoor (Arportculturist Compost, Dairy's Haystaking, Irrigation, Manure, Stacking, Milk- room, Ration room Store, Anti-Malaria, M.R.)
8	Driver (Mule, Bullock, Camel, Donkey)
9	Dresser
10	Driver (Bullocks Mule)
11	Grazler
12	Dairyman
13	(Store-Mazdoor)
14	Carrier (Stone),
15	Breaker (using manual appliances)
16	Helper
17	Messenger (Office)
18	Mali
19	Syce
20	Tying and Carrying loose hay
21	Sweeper,
22	Weighing and Carrying bales,
23	Weighman (Bales, pally),
24	Waterman,
25	Stable man,
26	Trolley man
27	Valveman,
28	Watchman,
29	White Washer,
30	Wooderman,
31	Wooder Woman,
32	Borryman,
33	Coalman,
34	Condenser,
35	Attendant,
36	Grass Cutter,
37	MuchhersJamadars,
38	Condenser Attendant,
39	Shunters

40	Turner,
41	Bajri Spreader,
42	Beater Women,
43	Bell-Woman,
44	Chain Man,
45	Boat Man,
46	Bucket Man,
47	Labourer (Boiler, Cattle Yard, Cultivation, General Loading and Unloading, Bunding, Carting- Fertilizers, Harvesting, Miscellaneous Seeding, Sowing, Thatching, Transplanting, Weeding)
48	Cleaner (Crane, Truck, Cinder for ash Pit),
49	Cartman,
50	Caretaker (Bridge),
51	Carrier (Water),
52	Chowkidar,
53	Concrete (Hand Mixer),
54	Daffadar,
55	Driver (Bullock, Camel, Donkey, Mule),
56	Flag Man,
57	Flagman (Blast Train),
58	Khalasi not attending to machines
59	Gangmen,
60	Gatingman (Permanent Way),
61	Handle Man, Jumper Man,
62	Kamin (Female Work),
63	Khalas,
64	Bridge,
65	Electrical,
66	Marine,
67	Moplah,
68	Store,
69	Steam Road,
70	Share,
71	Roller Survey,
72	labourer (Garden),
73	Mazdoor,
74	Hole Cutter,
75	Lorry Trainees,
76	Petrolman,
77	Searcher,
78	Signal man,

79	Strikers,
80	Vaks Controller,
81	Cleaner
82	Dresser / Dressing Mazdoor
83	Loader
84	Mazdoor (Male/Female)
85	Messenger (Male / Female)
86	Trammer
87	Caretaker (except in Copper, Chromite and Graphite mines where it is semiskilled)
88	Office Peon /Peon (except in Bauxite Mines)
89	Sweeper (Male / Female)
90	Carrier
91	Number Taker
92	TrolleyTriper
93	Water Carrier
94	Earth Cutter
95	Survey Khalasi
96	Gate Man,
97	Concrete (Hand Mixer)
98	Dismantling stocks
99	Lampman
100	Beldar/Beldar (Canteen)
101	Coolie
102	Peon
103	Cook-helper
104	Office Boy
105	Quarry Worker
106	Jelly Maker
107	Over burden Remover
108	Waste removing mazdoor
109	Unloader
110	Excavating Labour
111	Digger
112	Butcher
113	Attender
114	Lorry Helper
115	Surface loader
116	Wood Cutter
117	Surface Mukar
118	Under Ground Mukar

119	Striker (Moplah gang),
120	Tall Boy,
121	Tile
122	Person employed in loading and unloading
123	Person employed in sweeping and cleaning and other categories by whatever name called which are of unskilled nature

S.No	SEMI SKILLED
1	Assistant (Chowdhary)
2	Attendant (Bull-calving lines, Chowkidar, Chaff cutter, Hostel, Dry Stock, Grain crusher, Pump, Siekline,
3	Stable, Yard Stock)
4	Assistant-Plumber
5	Attendant
6	Bhisti
7	Brander
8	Bullman
9	Butterman
10	Coachman
11	Cobbler
12	Cultivator
13	Daftry
14	Deliveryman
15	Dhobi
16	Dresser
17	Fireman
18	Gowala
19	Hammerman
20	Helper (Blacksmith)
21	Helper
22	Jamadar (stand)
23	Jamadar
24	Khalasi
25	Mali Senior
26	Mate/Mistry
27	Mazdoor (literate)
28	Nalband
29	Oilman
30	Ploughman
31	Vtackers
32	Supervisor
33	Thatcher
34	Valveman

35	Valveman (Senior)
36	Wireman fixing tin cables
37	Cook
38	Dandee
39	Frash
40	Hacksaw man
41	Helper (locco-Crane/Truck)
42	Manjhee (Boatman)
43	Belchawala
44	Muccadam (without competency certificate under Metalliferous Bulldozer Driver Mines Regulations, 1961)
45	Bhisti (with Mushk)
46	Boatman (head)
47	Breaker,
48	Breaker (Stone, Rock, Rock Stone, Stone Metal)
49	Canweaver
50	Chainman(Head)
51	Charpoy-Stringer
52	Checker
53	Cracker
54	Dollyman
55	Assistant
56	Driller
57	Driver (Skin)
58	Excavator
59	Ferroman
60	Fireman (Brick Kiln, Steam Road Roller)
61	Gate Keeper
62	Gharami
63	Classman
64	Grater
65	Greaser-cum-Fireman
66	Grinder
67	Hammerman
68	Helper (Artisan)
69	Helper (Sawyer)
70	Keyman
71	Khalasi (Head Survey, Rivertters-Moplah Gang, Supervisory)
72	Labourer (Rock-Cutting)
73	Lascar

74	Mali (Head)
75	Stockers and Boilerman
76	Thoombaman (Spade worker)
77	Tindals
78	Trollyman (Head Motor)
79	Fitter (Assistant Semi-Skilled)
80	Jamadar (Semi-skilled)
81	Mate (Stone)
82	Kasab
83	Khalasi (Structural)
84	Masalchi P.M. Mates
85	Miner
86	Untrained Mate/ Mining Mate/ Mate without Competency certificate Under Metalliferous Mines Regulations, 1961
87	Butler/Cook
88	Breaker (using mechanical appliances)
89	Crech Ayah/Ayah/Untrained Crech Attendant
90	Assistant Driller
91	Oilman/Oiler
92	Chowkidar/ Watchman
93	Helper (Mason, Carpenter, Blacksmith)
94	Tindals
95	Topas
96	Topkar (Big Stone Breaker)
97	TrolleyJamadar
98	Winchman
99	Attendance-keeper
100	Assistant Wireman
101	Mate
102	Mate (Blacksmith, Road, Carpenter)
103	Engine Driver and/or Feeder
104	Fitter
105	Gang
106	Mazdoor Mason
107	Permanent Way
108	Pump-Driver,Turner)
109	Mazdoor (Heavy-weight)
110	Charge-man
111	Mistri (Head
112	Muccadam
113	Night-guard
114	Runner (Post dak)
115	Oilman

116	Quarry man
117	Quarry Operator
118	Stoneman
119	Stocker
120	Thatcher
121	Pump Attendant
122	Bearer
123	Breakman
124	Crowlder Man
125	Laboratory Boy
126	PointsmanSencummy
127	Stone mines and other cateogires by whatever name called which are of semi-skilled nature
S.No	SKILLED
1	Artificer (Class-II, III, IV)
2	Blacksmith
3	Blacksmith (Class II)
4	Boilerman
5	Carpenter
6	Carpenter (Class II) Carpenter-cum- Blacksmith
7	Chowdhary
8	Driver
9	Driver (Engine Tractor, M.T.Motor)
10	Electrician
11	Fitter
12	Mason
13	Mason Class II
14	Machine hand (Class II, III, IV)
15	Machineman
16	Mate Gr. I (Senior)
17	Mechanic
18	Milk Writer
19	Mistry (Head)
20	Moulder
21	Muster Writer
22	Operator (Tube-well)
23	Painter
24	Plumber
25	Welder
26	Upholsterer
27	Wireman,

28	Chipper
29	Chipper-Cum-Grinder
30	Cook (Head)
31	Driller
32	Driller (Well Boring)
33	Driver(Loco/Truck)
34	Electrician (Assistant)
35	Mechanic (Tube-Well)
36	Mistry(Stell, Tube-Well, Telephone)
37	Meter Reader
38	Meterorogical Observer Navghani
39	Operaor (Batching Plant, Cinema Project, Clamp Shelf, Compressor, Grane, Dorrick, Diesel Engine, Doser, Dragling Drill Dumber, Excavator, Fork Lift Generator, Grader, Jack Hammer and Payment breaker Loader, Pump, Pile Driving, Scrapper, Screening Plant, Shoal, Tractor, Vibrator, Weight Batcher, Railway Guards, Repairer (Battery)
40	Sharper/Slotter
41	Sprayer (Ashalt) Station Master
42	Surveyor (Silt)
43	Trades-Man
44	Train Examiner
45	Turner/Miller
46	TyreVulcaniser
47	Sawyer
48	Sawyer (Selection Grade Class II) Serang
49	Serangpile
50	Driving Pantooms with Boiler
51	Shapesman
52	Shift-incharge
53	Sprayman
54	Sprayman (Roads)
55	Stone Cutter
56	Stone Cutter (Selection Grade, Grade II, Class II)
57	Stone Chisler
58	Stone Chisler (Class II)
59	Stone Blasterer
60	Sub-Overseer (Unqualified)
61	Surveyors
62	Pump Driver
63	Pump Driver (Selection Grade), Grade II and III, Class II)
64	Pump Driver (Selection Grade, P.E., Driver,

65	Pumpman
66	Pumpman (Assistant)
67	Plumber
68	Polisher (with spray) Grade II
69	Ratan Man
70	Rivet Cutter (Assistant)
71	Rivetter
72	Rivetter (Cutter)
73	Road Inspector Grade II, Railway Plate Layer
74	Rod Bender
75	Haulage Operator
76	Dispensary Attendant
77	Work Sakar
78	Mica Cutter Grade -I
79	Dresser Grade -I Mica
80	Supervisory Fireman
81	Fireman only in Mines
82	Compressor Driver
83	Pump Man Driver 96. Grinder in Mica Mines
84	Surveyors (Assistant)
85	Tailor
86	Tailor(Upholstry)
87	Transprayer
88	Tar man
89	Line Man
90	Tiler Class II
91	Wall(Floor, Roof)
92	Tiler (Selection Grade)
93	Tin-Smith
94	Tin Smith(Selection Grade, Grade II and III, Class II) Tinker
95	Well Sinker
96	Assistant Mistry
97	Armature Winder Grade-II and III
98	Bhandari
99	Blacksmith
100	Blacksmith (Selection Grade, Grade II, III, Class II and III)
101	Boilerman
102	Boilerman Grade II and III
103	Boiler Foreman Grade II
104	Work (Assistant)

105	Brick Layer
106	Bricklayer (Selection Grade, Class II)
107	Blaster
108	Chowkidar (Head)
109	Security Guard (without arms)
110	Carpenter
111	Carpenter (Selection Grade, Grade II and III, Class I and III Assistant
112	B.I.M. Road
113	Cabinet Maker
114	Caneman
115	Celotex
116	Cutter Maker Chargeman, Class II and Class III, Carpenter Ordinary)
117	Checkder (Junior)
118	Chick Maker
119	Chickman (Junior) Concrete Mixure Mixer
120	Concrete Mixure Operator
121	Cobbler
122	Coremaker
123	Driver
124	Driver Motor Vehicle
125	Motor Vehicle Selection Grade
126	Motor Lorry
127	Motor-Lorry Grade II
128	Lorry Grade II
129	Diesel Engine
130	Diesel Engine Grade II
131	Mechanical Road Roller I.C. and Cement Mixer etc.
132	Road Roller
133	Road Roller Driver Grade II
134	Driver (Engine Static Stone Crusher, Tractor/Bull Dozer, Steam Road Roller, Water Pump, Mechanical Assistant, Road Roller, Mechanical, Steam Crane, Tractor with Bull Dozer Mechanical, Transport, Engine Static and Road Roller Boiler Attendant
135	Engine Operator (Stone Cursher Mechanical)
136	Distemperer, Electrician, Electrician (Grade II, Class II and Class III)
137	Fitter
138	Fitter (Selection Grade, Grade II and III) class II and III Assistant, Pipe class II, Pipe Line ending Bars for
139	reinforcement Cum-mechanic, Mechanic and Plumber)
140	Gharami (Head)
141	Glazier

142	Hole Drillar for Blasting
143	Joiner
144	Joiner (Cable,Cable Grade II)
145	Lineman (Grade II,III, High Tension/Low Tension)
146	Mason
147	Mason (Selection Grade, Grade II, III and Class B Mistry)
148	Stone (Stone Class II, Brick Work, Stone work)
149	Brick-layer
150	Tile Flooring
151	B.I.M Muccadam (Head)
152	Stone cutting
153	Ordinary Machanis
154	Mechanic
155	Mechanic (Class II, Air conditioning, Air conditioning Grade II
156	Diesel Grade II
157	Road Roller Grade II
158	Assistant, Radio)
159	Manson (Gharami)
160	Mistry
161	Mistry Grade II, Air conditioning Grade II, P. Way, Survey, Santras Works)
162	Mason Class A
163	Moulder
164	Moulder (Brick, Tile)
165	Painter
166	Painter (Selection Grade,Grade II and III, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Polisher,Rough)
167	Plasterer
168	Plasterer (Mason Grade II)
169	Plumber
170	Plumber (Selection Grade, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Rough),
171	Plasterer
172	Plasterer (Mason Grade II)
173	Plumber (Selection Grade, Class-II, Assistant Senior, Junior, Mistry Grade II)
174	Plumbing Mistry
175	Plumber-cum-Fitter
176	Polisher
177	Polisher (Floor)
178	Sirdhar Lathe Man
179	Geologist
180	Trailors
181	Turner

182	Upholsterer
183	Upholsterer (Grade II and III)
184	Painter Spray (Class II)
185	Wood Cutter
186	Wood Cutter Section Grade
187	Wood Cutter Class II
188	Work Sircar
189	Welder
190	Airwineh Haulage Operator
191	Auto-electrician
192	Painter
193	Blacksmith
194	Tailor
195	Compressor Operator
196	Blaster/Shot-firer
197	Driver
198	Head cook
199	Chargeman
200	Carpenter
201	Concrete Mixer Operator
202	Compressor Attendant
203	Air Compressor Attendant
204	Tractor Driver
205	Vehicle Driver
206	Chemist and Assistant/ Chemist
207	Sub- overseer (unqualified)
208	Driller
209	Handhole Driller
210	Drill Mechanic
211	Driver Auto
212	Electrician
213	Wireless Operator Asstt. Foreman
214	Foreman
215	Fitter
216	Ferry Driver
217	Issuer Loco
218	Super Foreman
219	Hoist Operator
220	IMCE Driver
221	Driver

222	Loco Driver
223	Loader Operator
224	Linesman
225	Mechanic/ Machinist
226	Mason
227	Mid Wife
228	Tinsmith
229	Supervisory Mechanic
230	Pump Attendant only in Gypsum, Barytes and Rock Phosphates
231	Pump Operator/Driver
232	Mining Mate with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961.
233	Mistry
234	Skilled Mazdoor
235	Turner
236	Senior Mechanic
237	Pipe Fitter
238	Supervisor
239	Drafts Man
240	Wireman
241	Timber Man/Timber Mistry Elect.
242	Stone Crusher Operator
243	Crusher Operator
244	Moulder
245	Welder
246	Operator
247	Work Mistry
248	Engine Driver
249	Mining Engine Driver Grade -II
250	Engineman
251	Valveman
252	Cutter
253	Winding Engine Driver Grade - II
254	Security Guard (Unarmed) /Head Chowkidar
255	Shovel Operator
256	Limco Loader Operator
257	Surface Supervisor
258	Dozer Operator
259	Compressor Driller
260	Dumper Tractor Operator
261	Boiler Man (with Certificate)

262	Machinery Attendant
263	Air-conditions Mechanic
264	Crech Attendant only in Magnesite, Manganese and Mica Mines
265	Power Shovel Operator
266	Power and Pump House Operator
267	Miner Grade - I
268	Tractor Operator 80. Tub Repairer 81. Lathe Mistry
269	Stationery Engine Attendant 83. Generator Operator 84. Loading Foreman
270	Diesel Mechanic
271	Ferro Printer cum-chairman
272	White Washing and Colour Washing Man
273	Operator Pneumatic Tools, Operator (Fitter)
274	Boreman
275	Borer
276	Wireman (Grade II and III, Mechanic, Electrical)
277	White Washer
278	White Washer (Selection Grade, Class II)
279	Wireman
280	Welder (Class II, Bridge work)
281	Welder gas
282	Muccatam (with Compentency Certificate under MetalliferousMinesRegulations, 1961).
283	Security Guard (without arms)and other cateogires by whatever name called which are of skilled nature
284	Assistant (Farm)
285	Assistant (Cashier)
286	Librarian
287	Telex or Telephone Operator
288	Hindi Translator
289	Telex or Telephone Operator
290	Hindi Translator
291	Accounts Clerk
292	Clerks
293	Computer/Data Entry Operator
294	Telephone Operator, Typist
295	Store Attendant
296	M. C. Clerk
297	Munshi (Matriculate, Non-matriculate)
298	Store Clerk (Matriculate Non-matriculate)
299	Store Keeper
300	Store Keeper Grade I, Grade II, (Matriculate)

301	Time Keeper
302	Time Keeper (Matriculate Non-Matriculate)
303	Book Keeper
304	Work Munshi
305	Work Munshi (Subordinate)
306	Magazine Clerk
307	Teller Clerk
308	Store clerk
309	Tally Clerk
310	Store Issuer
311	Tool Keeper
312	Computer/Data Entry Operator
313	Record Keeper
314	Tracer
315	File Clerk
316	Register Keeper
317	Time Keeper
318	Clerk
319	Munshi
320	Typist and other categories by whatever name called which are of clerical nature

Sr. No.	HIGHLY SKILLED
1	Artificier Class I
2	Blacksmith Class I
3	Carpenter Class I
4	Machine
5	Hand Class I
6	Mason Class I
7	Mechanic (Senior)
8	Painter (Grade I, Class I, Spray) Plasterer (Mason) Class I
9	Plumber (Head, class I)
10	Mistry Grade I
11	Polisher (with spray Grade I)
12	Road Inspector Grade I
13	Sawyer Class I
14	Stone Cutter Class I
15	Stone Cutter Grade I
16	Stone Chisler Class I
17	Stone Mason Class I

18	Sub-Overseer (Qualified)
19	Tiler Class I
20	Tinsmith Grade I and Class I
21	Upholsterer Grade I
22	Varnisher Class I
23	Welder-Cum-Fitter and Air Conditioning Mechanic
27	Welder (Gas) Class I
25	White Washer Class I
26	Wireman Grade I, Class I
27	Wood Cutter Class I
28	Grinder (Tool) Grade I
29	Operator (Batching Plant Grade I)
30	Leader Grade I
31	Pile Driving Grade I
32	Pump Grade
33	Scraper Grade I
34	Screening Plant Grade I
35	Pump Grade I
36	Scraper Grade I
37	Security Guards (with arms)
38	Armature Winder Grade I
39	Blacksmith Grade I and Class I
40	Boilerman Grade I
41	Boilerman Foreman Grade I
42	Brick Layer class I
43	Cable Joiner Grade I
44	Carpenter grade I and Class I
45	Celo Cutter and Decorator
46	Chargeman Class I
47	Checker (Sr) Driver Lorry Grade I
48	Motor Lorry Grade I
49	Motor Vehicle Class I and Diesel Engine Grade I
50	Road Roller Grade I
51	Pump Class Electrician Grade I and Class I/ Grade I
52	Fitter (Grade I, Class I)
53	Pipe Class I (Head)
54	Foreman(Assistant) Line Man Grade I Mason (Skilled Grade I, Class I)
55	Mast Rig
56	Mechanic Class I and Class II
57	Mechanic (Diesel Grade I and Road Roller Grade I)

58	Airconditioning Grade I/Class I, Mistry Grade I
59	Mistry (Airconditioning Grade I)
60	Overseer
61	Overseer (Senior and Junior)
62	Dragline Grade I
63	Drill Grade I
64	Dumper Grade I
65	Excavator Grade I
66	Fork Lift Grade I
67	Generator Grade I
68	Rigger Grade I
69	Rigger Grade II
70	Charper/Sletter Grade I
71	Shovel and Dragline Tractor Grade I
72	Tradesman Class I
73	Turner/Miller Grade I
74	Work (Assistant) Grade I
75	Compounder
76	Surveyor
77	Winding Engine Driver
78	Operator (Heavy Earth Moving Shovel and Bulldozer)
79	Head Mistry
80	Staff Nurse with Diploma
81	Drill Operator other than Jack Hammer
82	Electrical Supervisor with Competency Certificate
83	Underground Shift Boss
84	Head Mechanic
85	Qualified and Experienced Welder
86	Machine Tool Mechanic
87	Mechanical/Plant Foreman
88	Mining Supervisor
89	Vocational Training Instructor/Teacher
90	Head Electrician
91	Accountant
92	Steno with 7 years of service
93	Store Incharge
94	Shift Incharge
95	Supervisor
96	Incharge of Watch and Ward

97	Security Guard (Armed)
98	Crane Grade I
99	Diesel Engine Grade I
100	Dozer Grade I
101	Clamp Shell Grade I
102	Compressor Grade I
103	Grader Grade I
104	Tractor Grade I
105	Vibrator Grade I
106	Screening Plant Grade I
107	Shovel Grade I
108	Shovel and Dragline
109	Tyre vulcaniser Grade I
110	Security Guard (with Arms) and other categories by whatever name called which are of Highly- skilled nature

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का संख्यांक 29) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त मजदूरी संहिता के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए और राज्य सरकार द्वारा, यथास्थिति, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4), न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न बनाए गए—

- (i) हिमाचल प्रदेश पेमेन्ट ऑफ वेजिज़ रूल्स, 1979;
- (ii) हिमाचल प्रदेश पेमेन्ट ऑफ वेजिज़ (प्रोसिजर) रूल्स, 1979;
- (iii) हिमाचल प्रदेश मिनिमम् वेजिज़ रूल्स, 1978; और
- (iv) विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्ट्रों के रखरखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 का उस विस्तार तक जहां तक ये नियम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 29 और 30 तथा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए है और तदनुसार लागू है; के अधिक्रमण में, निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते है और इन्हे राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में जन साधारण की सूचना हेतू एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इन नियमों की बावत किसी हितबद्ध व्यक्ति के कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह/वे उसे/उन्हे उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर श्रम-आयुक्त, हिमाचल प्रदेश न्यू हिमरस भवन, नज़दीक हिमलैंड होटल, शिमला-171001 (lep-hp@nic.in) को भेज सकेगा/सकेंगे;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों) या सुझाव (सुझावों) यदि कोई है/हैं, पर सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात;

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मजदूरी संहिता (हिमाचल प्रदेश) नियम, 2021 है।

(2) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्यों में होगा।

(3) ये नियम राजपत्र (ई-गज़ट) हिमाचल प्रदेश में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं— (1) इन नियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अपील" से धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन की गई अपील अभिप्रेत है;

(ख) "अपीलीय प्राधिकारी" से धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकारी" से धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "बोर्ड" से धारा 42 की उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(च) "संहिता" से मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) अभिप्रेत है;

(छ) "समिति" से धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है;

(ज) "दिवस" से मध्य रात्रि से प्रारम्भ होने वाली 24 घण्टे की अवधि अभिप्रेत है;

(झ) "प्रारूप" से इन नियमों में संलग्न अभिप्रेत है;

(ञ) "अत्यधिक कुशल व्यवसाय" से वह व्यवसाय अभिप्रेत है जिसमें विशिष्ट स्तर की उत्कृष्टता की अपेक्षा होती है और एक पर्याप्त अवधि के लिए गहन तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा व्यावहारिक व्यावसायिक अनुभव के माध्यम से अर्जित क्षमता अपेक्षित होती है और साथ ही किसी कर्मचारी से यह अपेक्षा होती है कि ऐसे व्यवसाय के निष्पादन में अन्तर्वलित अपने निर्णय या विनिश्चय के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी (दायित्व) स्वीकार करें;

(ट) "निरीक्षक एवं सुविधा प्रदाता" से धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ठ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें इसका अध्यक्ष भी सम्मिलित है;

(ड) "नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत" क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के रूप में अधिसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ) "जनसंख्या" से वह जनसंख्या अभिप्रेत है जो पूर्व जनगणना में निर्धारित की गई है और जिसकी संगत आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं;

(ण) "रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन" से इन्ड्रस्टियल रिलेशन कोड, 2020 (सैन्ट्रल एक्ट नम्बर 35 ऑफ 2020) के अर्न्तगत रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन अभिप्रेत है;

(त) "ग्रामीण क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत के अर्न्तगत नहीं आता है;

(थ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(द) "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है;

(ध) "अर्ध-कुशल व्यवसाय" से वह व्यवसाय अभिप्रेत है जिसमें इसके निष्पादन में जॉब (कार्य) पर अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित होता है जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा मार्गदर्शन में इसका उपयोग किए जाने लायक होता है और इसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी सम्मिलित है;

(न) "कुशल व्यवसाय" से वह व्यवसाय अभिप्रेत है जिसमें इसके निष्पादन में जॉब (कार्य) पर अनुभव के द्वारा अथवा तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से कुशलता और सक्षमता की जरूरत होती है और जिसके निष्पादन में पहल करने और विवेक की आवश्यकता होती है;

(प) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(फ) "अकुशल व्यवसाय" से वह व्यवसाय अभिप्रेत है जिसमें इसके निष्पादन में

केवल प्रचालन अनुभव के उपयोग की आवश्यकता होती है और इसमें कोई अतिरिक्त कौशल अर्न्तवर्तित नहीं होता है।

(2) अन्य समस्त शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः संहिता में समुद्देशित हैं।

अध्याय-2

न्यूनतम मजदूरी

3. मजदूरी की न्यूनतम दर की गणना करने की रीति—(1) धारा 6 की उपधारा (5) के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित मापदंड को ध्यान में रखते हुए दैनिक आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दर नियत की जाएगी, अर्थात:—

(i) मानक श्रमिक वर्ग परिवार जिसमें कमाने वाले कामगार के अलावा उसकी पत्नी या उसका पति और दो बच्चे शामिल हैं; जो तीन व्यस्क उपभोग इकाईयों के समान हैं;

(ii) प्रतिदिन प्रति उपभोग इकाई हेतु शुद्ध 2700 कैलोरी की खपत;

(iii) प्रतिमानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए प्रतिवर्ष 66 मीटर कपडा;

(iv) आवासीय किराया व्यय जो भोजन और वस्त्र व्यय का 10 प्रतिशत होगा;

(v) ईंधन, बिजली और व्यय की अन्य विविध मदें जो न्यूनतम मजदूरी का 20 प्रतिशत होगी;

(vi) बच्चों की शिक्षा की व्यय, चिकित्सा आवश्यकताएं, मनोरंजन और अन्य आकस्मिक व्यय जो न्यूनतम मजदूरी का 25 प्रतिशत होगा;

(2) जब एक दिन के लिए मजदूरी की दर नियत की जाती है तब एक घण्टे की दर नियत करने के लिए ऐसी राशि को 8 से भाग और एक महीने के लिए मजदूरी की दर नियत करने के लिए छब्बीस से गुना किया जाएगा और ऐसे भाग और गुना

मे आधे या आधे से अधिक गुणक खंड को अगले अंक में पूर्णांकित किया जायेगा और आधे से कम गुणक खंड को नज़रअदांज किया जायेगा।

4. मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करने के मानदंड—(1) धारा 6 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करते समय राज्य सरकार संबंधित भौगोलिक क्षेत्र वर्गों अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित करेगी।

(2) राज्य सरकार, कौशल वर्गीकरण की बाबत राज्य सरकार को सलाह देने के प्रयोनार्थ, एक तकनीकी समिति गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:—

- (i) श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश— अध्यक्ष;
- (ii) संयुक्त श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश जो मजदूरी संबंधी कार्य देख रहे हैं— सदस्य;
- (iii) तकनीकी शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश से एक प्रतिनिधि— सदस्य;
- (iv) राज्य सरकार द्वारा यथा नामित मजदूरी निर्धारण के लिए दो तकनीकी विशेषज्ञ— सदस्य; और
- (V) उप श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश जो मजदूरी संबंधी कार्य देख रहे हैं— सदस्य—सचिव।

(3) राज्य सरकार, उप-नियम (2) में संदर्भित तकनीकी समिति की सलाह पर, कर्मचारियों के व्यवसाय को अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यवसायों को उपांतरित करके, हटाकर अथवा कोई भी प्रविष्टि जोड़कर चार वर्गों अर्थात् अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल वर्गों में वर्गीकृत करेगी।

(4) उप-नियम (2) के अधीन गठित तकनीकी समिति उप-नियम (3) के अधीन राज्य सरकार को सलाह देते समय यथा संभव व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण या राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढाचें या व्यवसायों की पहचान करने के लिए तत्समय बनाए जा रहे अन्य समान ढाचें को ध्यान में रखेगी।

5. **मंहगाई भत्ते के पुननिर्माण के लिए समय अंतराल**— यह प्रयास किया जायेगा जिससे निर्वाह भत्ते की लागत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं के संबंध में रियायत के नकद मूल्य की गणना हर वर्ष एक बार एक अप्रैल से पहले और फिर एक अक्टूबर से पहले न्यूनतम मजदूरी पर कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते को पुनरीक्षित करने के लिए की जा सके।
6. **एक सामान्य कार्य दिवस के निर्धारण के लिए कार्य घण्टों की संख्या**— (1) धारा 13 की उपधारा (1) खंड 'क' के अधीन सामान्य कार्य दिवस में कार्य के 8 घण्टे शामिल होंगे और विश्राम का एक या अधिक अंतराल कुल मिलाकर एक घण्टे से अधिक नहीं होगा।

(2) कर्मचारी के कार्य दिवस को इस तरह से व्यवस्थित किया जायेगा कि उसका समय विस्तार (फैलाव), विश्राम के अंतराल, यदि कोई है, को मिलाकर किसी भी दिन 12 घण्टे से अधिक नहीं होगा।

(3) कृषि रोजगार में नियोजित किसी कर्मचारी के मामलों में उप-नियम (1) और (2) के उपबंध राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले ऐसे उपतारणों के अधीन होंगे।

(4) इस नियम की किसी बात से आक्यूपेशनल सेफ्टी, हैल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, 2020 (2020 का केन्द्रिय अधिनियम संख्याक 37) के उपबंध प्रभावित नहीं समझे जायेंगे।

7. **विश्राम का सप्ताहिक दिन**— (1) इस नियम के उपबंधों के अधीन कर्मचारी को प्रत्येक सप्ताह को एक दिन का विश्राम दिया जायेगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विश्राम दिवस" संदर्भित किया गया है) जो सामान्य रूप से रविवार होगा, किन्तु नियोक्ता सप्ताह के किसी भी अन्य दिन को किसी भी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों के वर्ग के लिए विश्राम का दिन नियत कर सकेगा:

परन्तु यह कि इस उप-नियम के अधीन कर्मचारी विश्राम दिन का हकदार होगा यदि उसने उसी नियोक्ता के अधीन लगातार कम से कम छह दिन काम किया है:

परन्तु यह और कि कर्मचारी को विश्राम दिन के रूप में नियत दिन और

बाद में विश्राम दिन में किसी पश्चातवर्ती परिवर्तन की सूचना परिवर्तन प्रभावी होने से पहले निरीक्षक एवं सुविधा प्रदाता द्वारा इस निमित्त रोजगार के स्थान पर विनिर्दिष्ट स्थान पर सूचना प्रदर्शित करके दी जाएगी।

स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट कम से कम छह: दिन की लगातार अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ किसी भी दिन जिसको कर्मचारियों को कार्य करना अपेक्षित है लेकिन उसे उपस्थिति के लिए केवल भत्ता दिया जाता है और उसे काम नहीं दिया जाता है, तब इंडस्ट्रीयल रिलेशन कोड, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम संख्याक 35) के अंतर्गत प्रतिकर के भुगतान पर किसी दिन कर्मचारी को कामबंदी पर रखा जाता है और विश्राम दिन के तुरंत पहले छह: दिन की अवधि में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सवेतन या वेतन रहित छुट्टी या अवकाश दिया जाता है तब उन्हें वे दिन माने जाएंगे जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है।

(2) किसी भी ऐसे कर्मचारी को विश्राम के दिन काम करना अपेक्षित या काम करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि उसने विश्राम दिन के तुरंत पहले या बाद में पांच दिनों में से किसी एक पूरे एक दिन का प्रतिस्थापित विश्राम दिन न लिया है या लेगा।

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी प्रतिस्थापन जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को पूरे विश्राम दिन के बिना लगातार 10 दिन से अधिक काम करना पड़े नहीं किया जाएगा।

(3) इस नियम के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार जहां कोई भी कर्मचारी विश्राम के दिन काम करता है और उसे विश्राम दिन के पहले या बाद 5 दिन में किसी भी दिन प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया जाता है तब विश्राम दिन को, काम की सप्ताहिक घण्टों की गणना के प्रयोजनार्थ उस सप्ताह में गिना जाएगा जिसमें प्रतिस्थापित दिन आता है।

(4) कर्मचारी को—

(क) विश्राम दिन के लिए आगामी पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर पर परिकलित मजदूरी दी जाएगी; और

(ख) जहां पर वह विश्राम के दिन काम करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है तब उसे अतिकालिक दर से और प्रतिस्थापित विश्राम दिन जिसमें वह कार्यकर्ता है के लिए आगामी पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर से मजदूरी दी जाएगी।

परन्तु यह कि जहां—

(i) संहिता के अधीन यथा अधिसूचित कर्मचारी की मजदूरी की न्यूनतम दर मजदूरी की न्यूनतम मासिक दर को 26 से भाग करके निकाली गई, या

(ii) कर्मचारी की मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर मजदूरी की मासिक दर को 26 से भाग करके निकाली गई है और मजदूरी की ऐसी वास्तविक दैनिक दर कर्मचारी की अधिसूचित न्यूनतम दैनिक दर से कम नहीं होगी,

तब विश्राम दिन के लिए कोई मजदूरी देय नहीं होगी; और

(iii) कर्मचारी ने विश्राम के दिन काम किया है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है तब उसे केवल उसी विश्राम दिन के लिए अतिकालिक दर पर देय मजदूरी के बराबर राशि दी जाएगी जिस दिन उसने काम किया है;

और, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या इस परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार मजदूरी की दैनिक दर निकाली गई है, तब अतिकालिक श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश अथवा उपश्रमायुक्त हिमाचल प्रदेश इस निमित्त उन्हे किये गए आवेदन पर, संबंधित पक्षकारों को अपने लिखित अभ्यावेदनों का अवसर देने के पश्चात् उसका विनिश्चय करेंगे;

परन्तु यह और कि यदि कोई कर्मचारी मात्रानुपाती दर प्रणाली से शासित होता है, तब यथास्थिति विश्राम दिन या प्रतिस्थापित विश्राम दिन के लिए मजदूरी वह होगी जैसे राज्य सरकार उस रोजगार की बाबत संहिता के अन्तर्गत नियत मजदूरी की न्यूनतम दर को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर नियत करे।

स्पष्टीकरण— इस उप नियम में आगामी पूर्ववर्ती दिन से वह अंतिम दिन अभिप्रेत है, जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है जो यथास्थिति विश्राम दिन या प्रतिस्थापित विश्राम दिन के पहले आता है; और जहां प्रतिस्थापित विश्राम दिन, विश्राम दिन के तुरन्त अगले दिन आता है तब आगामी पूर्ववर्ती दिन से वह अंतिम दिन अभिप्रेत होगा जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है और जो विश्राम दिन के पहले था।

(5) इस नियम के उपबन्ध अधिक अनुकूल निबन्धनों पर प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई है, नहीं डालेंगे जिसमें कर्मचारी किसी अन्य विधि के अन्तर्गत अथवा किसी अधिनिर्णय करार अथवा सेवा की संविदा की निबन्धनों के अन्तर्गत हकदार है, और ऐसी दशा में, कर्मचारी केवल उपरोक्त अनुकूल निबन्धनों का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'सप्ताह' से शनिवार की अर्धरात्रि से शुरू होकर 7 दिन की अवधि अभिप्रेत है।

8. रात्रि पाली— जहां नियोजन में कर्मचारी पाली में काम करता है और जो अर्ध रात्रि के पश्चात् भी चलती है, तब—

(क) नियम 6 के प्रयोजनार्थ पूरे दिन के लिए विश्राम दिन से, इस मामले में, उसकी पाली समाप्त होने के समय से शुरू होकर लगातार 24 घण्टे की अवधि अभिप्रेत है; और

(ख) ऐसे मामले में अगले दिन ऐसी पाली के समाप्त होने के पश्चात् से शुरू होकर चौबीस घण्टे की अवधि का होगा, और अर्ध रात्रि के बाद के घण्टों को, जिसके दौरान ऐसे कर्मचारी ने काम किया है, पूर्व दिवस में गिना जाएगा।

9. धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (क) से (ड) के अधीन निर्दिष्ट कर्मचारियों के वर्ग को नियम 6,7 और 8 के उपबन्ध इस शर्त के अधीन लागू होंगे कि—

(i) कर्मचारी के काम के घण्टों का समय विस्तार किसी भी दिन में 16 घण्टों से अधिक नहीं होगा; और

(ii) विश्राम के अन्तराल को अपवर्जित वास्तविक कार्यों के घण्टे और निष्क्रियता की अवधि, जिसके दौरान कर्मचारी ड्यूटी पर हो सकता है किन्तु उससे शारीरिक गतिविधि करने या नियमित उपस्थिति के लिए नहीं कहा जाता है, किसी भी दिन में नौ घण्टे से अधिक नहीं होगी।

10. लम्बी मजदूरी अवधि— धारा 14 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के प्रयोजनार्थ लम्बी मजदूरी अवधि एक महिना होगी।

अध्याय—3

मजदूरी का संदाय भुगतान

11. अतिरिक्त रकम की वसूली— जहां धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत कुल कटौतियां कर्मचारी की मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक है तब अधिकता को अग्रनित किया जाएगा

और यथास्थिति मजदूरी अब भी या अवधियों, से ऐसी किस्तों में वसूल की जाएगी ताकि किसी भी माह में वसूली उस माह में कर्मचारी की मजदूरी का पचास प्रतिशत से अधिक न हों।

- 12. जुर्माना लगाने के सक्षम—** श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी होगा।
- 13. जुर्माना अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नोटिस प्रदर्शित करने की रीति—** धारा 19 की उपधारा (2) में सर्दर्भित नोटिस को कार्य स्थल के परिसर में, जहां पर रोज़गार किया जाता है, के सहजदृश्य स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक संबंधित कर्मचारी नोटिस की विषय वस्तु को आसानी से पढ़ सके और नोटिस की एक प्रति अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता को भेजी जाएगी।
- 14. जुर्माना अधिरोपित करने के लिए—** नियोक्ता नियम 10 में विनिर्दिष्ट जुर्माना अधिरोपित करने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उसमें विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरणों की लिखित रूप में सूचना श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश को देगा, जो स्वीकृति को प्रदान करने या इन्कार करने से पहले सम्बन्धित कर्मचारी और नियुक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।
- 15. कटौती की सूचना—** (1) जहां नियोक्ता धारा 20 की उपधारा (2) के परन्तुक के अनुसरण में कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए कोई भी कटौती कर्ता है, तब वह ऐसी कटौती की सूचना ऐसी कटौती के कारणों को स्पष्ट करते हुए ऐसी कटौती की तारीख से दस दिन के भीतर अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता को देगा।
- (2) निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता उपनियम (1) के अधीन ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात् ऐसी सूचना की जांच करेगा और यदि उसे प्रतीत होता है कि उसमें दिए गया स्पष्टीकरण संहिता के किसी भी उपबन्ध या तद्धीन बनाए गये नियम के उल्लंघन में है, तो वह नियोक्ता के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाई शुरू करेगा।
- 16. क्षति या हानि के लिए कटौती की प्रक्रिया—** यदि कोई नियोक्ता कर्मचारी की मजदूरी से धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन नुकसान अथवा हानि के कटौती करने की वांछा रखता है तो वह—

(i) कर्मचारी के लिए स्पष्टतः— अभिरक्षा सौंपे गए माल के नुकसान या हानि या धन की हानि, जिसके लिए उसकी जवाबदेही अपेक्षित है और किस प्रकार

ऐसे नुकसान या हानि के लिए प्रत्यक्षतः कर्मचारी की उपेक्षा या व्यतिक्रम को माना जा सकता है, उसे व्यक्ति गतरूप से और लिखित में भी स्पष्टीकरण देगा और

(ii) तत्पश्चात्, कर्मचारी को स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा और कटौती या कोई नुकसान या हानि ऐसी कटौती की तारीख से 15 दिन के भीतर कर्मचारी को संसूचित की जाएगी।

17. अग्रिम वसूली की बाबत शर्तें— यथास्थिति वसूली—

(i) धारा 23 के खंड (ख) के अधीन नियोजन प्रारम्भ होने के पश्चात् कर्मचारी को दिया गया अग्रिम धन; या

(ii) किसी कर्मचारी को मजदूरी का अग्रिम जो उसने धारा 23 के खंड (ग) के अधीन अर्जित नहीं किया है, का भुगतान नियोक्ता द्वारा निर्धारित किशतों में सम्बन्धित कर्मचारी की मजदूरी से नियोक्ता द्वारा किया जाएगा, ताकि कोई एक किशत अथवा सभी किशतें उस मजदूरी अवधि में कर्मचारी की मजदूरी अवधि में वेतन के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा ऐसी वसूली का विवरण प्रारूप-I में रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा।

18. ऋणों की वसूली के लिए कटौती— राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत ऋणों और उन पर देय ब्याज की वसूली हेतु कटौतियां ऐसे ऋणों को स्वीकृत करने की सीमा तथा इन पर देय ब्याज दर को विनियमित करने वाले समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दिये गए निर्देश या जारी परिपत्र के अध्याधीन होंगी।

अध्याय-4

राज्य सलाहकार बोर्ड

क. धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया—

19. बोर्ड का गठन (1) बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाने वाले, धारा 42 की उपधारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) में यथा विनिर्दिष्ट नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले

व्यक्तियों तथा इस धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) में यथा विनिर्दिष्ट स्वतंत्र व्यक्तियों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि से गठित होगा।

(2) धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति छह: ही होंगे तथा इस उपधारा के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति छह: ही होंगे।

(3) राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाने वाले धारा 42 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट स्वतंत्र व्यक्ति में निम्नलिखित होंगे, अर्थात:-

(i) अध्यक्ष;

(ii) राज्य विधान सभा का एक सदस्य ;

(iii) मजदूरी और श्रम सम्बन्धी विषयों के क्षेत्र में वृत्तिक के वे और सदस्य;

(iv) एक सदस्य, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित औद्योगिक न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी हो या रह चुका हो;

(4) राज्य सरकार, बोर्ड के सदस्य नामित करते समय, इस बात का ध्यान रखेगी कि उप-नियम (3) के अधीन स्वतंत्र सदस्यों की संख्या बोर्ड के कुल सदस्यों संख्या के एक-तिहाई से अधिक न हो और बोर्ड के सदस्यों में एक-तिहाई महिलाएं होंगी।

20. बोर्ड के अतिरिक्त कृत्य- धारा 42 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त बोर्ड राज्य सरकार द्वारा संदर्भ मांगने पर सरकार को न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण से सम्बन्धित मुद्दों पर निम्नलिखित की बाबत-

(i) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित श्रमजीवी पत्रकारों; और

(ii) विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तों) अधिनियम, 1976 (1976 का 11) की धारा 2 के खण्ड (घ) में यथा परिभाषित विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों पर

परामर्श देगा।

21. बोर्ड की बैठक— अध्यक्ष, नियम 22 के उपबन्धों के अध्यक्षीन, किसी भी समय जब वह उचित समझें, बोर्ड की बैठक बुला सकेगा:

परन्तु कम से कम आधे सदस्यों से लिखित में मांग पत्र प्राप्त होने पर, अध्यक्ष ऐसे मांग पत्र की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर बैठक बुलाएगा।

22. बैठक का नोटिस— अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की तारीख, समय एवं स्थान नियत करेगा तथा उक्त विवरण को सम्मिलित करते हुए बैठक में की जाने वाली कार्यसूची के साथ लिखित नोटिस ऐसी बैठक की नियत तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पहले रजिस्टरीकृत डाक एवं इलैक्ट्रॉनिक ढंग से प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगा।

परन्तु आकस्मिक बैठक के मामले में, प्रत्येक सदस्यों को केवल सात दिन का नोटिस भी दिया जा सकेगा।

23. अध्यक्ष के कृत्य— अध्यक्ष—

(i) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा:

परन्तु किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्य अपने में से मतों के बहुमत से किसी सदस्य का चुनाव करेगा जो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा;

(ii) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची का विनिश्चय करेगा; और

(iii) जहां बोर्ड की बैठक में यदि कोई विषय मतदान द्वारा विनिश्चित किया जाना है, तो मतदान करवाएगा तथा बैठक में गुप्त मतदान की गणना करेगा या करवाएगा।

24. गणपूर्ति— किसी बैठक में कोई कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कम से कम एक तिहाई सदस्य तथा नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों दोनों का कम से कम एक-एक प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है:

परन्तु यदि किसी बैठक में एक तिहाई सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित है, तो अध्यक्ष उस बैठक को प्रारम्भिक बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक के लिए स्थगित कर सकेगा और ऐसी स्थगित बैठक कारवार का निपटान उपस्थित सदस्यों के विचार में लाए बिना वैध हो जाएंगे;

परन्तु यह कि ऐसी स्थगित बैठक की तारीख, समय और स्थान सभी सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिकली या रजिस्ट्रीकृत डाक से सूचित किया जाएगा।

25. **बोर्ड के कारबार का निपटान**— बोर्ड के समस्त कारबार पर बोर्ड की बैठक पर विचार किया जाएगा तथा उपस्थित सदस्यों तथा मतदान करने वालों के बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जाएगा तथा बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा:

परन्तु यह और कि अध्यक्ष, यदि उचित समझें, तो निदेश दे सकेगा कि किसी मामले के सम्बन्ध में निर्णय आवश्यक दस्तावेजों के परिचालन और सदस्यों का लिखित मत प्राप्त करके किया जाएगा:

परन्तु यह कि और पूर्ववर्ती परतुक के अधीन किसी मामले में कोई निर्णय तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि कम से कम दो—तिहाई सदस्य इसका समर्थन न करें।

26. **मतदान की पद्धति**— बोर्ड में मतदान सामान्यतः हाथ उठाकर किया जाएगा किन्तु यदि कोई सदस्य बैलेट द्वारा मतदान की मांग करता है या यदि अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेता है, तो मतदान गुप्त बैलेट द्वारा होगा और ऐसी रीति में किया जाएगा जैसा कि अध्यक्ष विनिश्चय करें।

27. **बैठक की कार्यवाहियां**— (1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां, जिनमें अन्य बातों के साथ—साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम दर्शाते हुए, बैठक के तुरन्त बाद यथाशीघ्र और किसी भी दशा में अगली बैठक से कम से कम सात दिन पहले प्रत्येक सदस्य और राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी।

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की ऐसे उपान्तरणों, यदि कोई हो, जिन पर आगामी बैठक में विचार करना आवश्यक हो, के साथ पुष्टि की जाएगी।

28. **गवाहों को समन करना एवं दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण**— (1) अध्यक्ष, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अनुक्रम में यदि अपेक्षित हो तो किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में उपस्थित होने तथा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन कर सकेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसे समन किया गया है तथा जो बोर्ड के समन गवाह के रूप में उपस्थित होता है तो वह उसके द्वारा किये गए व्ययों के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले गवाहों को देय ऐसे भत्ते के संदाय के लिए तत्समय प्रवृत्त स्केल श्रेणी

के अनुसार भत्तों के लिए पात्र होगा।

29. **समितियों की नियुक्ति**— राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन इस खंड में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जितनी यह आवश्यक समझें, उतनी समितियां गठित कर सकेगी।

ख. धारा 42 की उपधारा (11) के अंतर्गत बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल

30. **बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल**—(1) यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य का कार्यकाल, उसकी यथास्थिति नियुक्ति या नामकन के तारीख से समान्यतः दो वर्ष का होगा:

परन्तु ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य, दो वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति होने के बावजूद, अपने उतराधिकारी की नियुक्ति अथवा नामकन तक अपने पद पर बने रहेंगे।

(2) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामित बोर्ड का स्वतंत्र सदस्य जिसके स्थान पर उनको नामित किया गया है, उस सदस्यों के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा।

(3) बोर्ड के अधिकारिक सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका स्थान उनके जैसे अन्य अधिकारिक सदस्यों द्वारा न ले लिया जाए।

(4) उप-नियम (1), (2) और (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के सदस्यों राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे।

31. **यात्रा भत्ता**— बोर्ड का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उनके द्वारा अपनी ड्यूटी के सम्बन्ध में की गई किसी भी यात्रा के लिए राज्य सरकार के वर्ग—I अधिकारी को लागू दरों और शर्तों के अध्यधीन यात्रा और विराम भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

32. **अधिकारी एवं कर्मचारीवृन्द**— राज्य सरकार, बोर्ड को एक सचिव, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, अन्य अधिकारी और कर्मचारीवृन्द, जो वह बोर्ड के कृत्य करने के लिए आवश्यक समझें, उपलब्ध करवाएगी।

33. **बोर्ड के सदस्यों के पुर्ननामांकन हेतु पात्रता**— एक निवर्तमान सदस्य बोर्ड की सदस्यता के लिए कुल दो से अधिक कार्यकाल के लिए पुनर्नामांकन हेतु पात्र होगा।

34. **बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का त्यागपत्र—** (1) बोर्ड का कोई सदस्य अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा तथा अध्यक्ष राज्य सरकार को सम्बोधित करके त्यागपत्र दे सकेगा:
- (2) **त्यागपत्र** इसकी स्वीकृति की सूचना की तारीख से या त्यागपत्र की तारीख से तीस दिन की अवसान पर जो भी पूर्वतर हो, से प्रभावी होगा।
- (3) जब बोर्ड में कोई रिक्ति होती है अथवा बोर्ड की सदस्यता में रिक्ति होने की सम्भावना होती है, तो तत्काल अध्यक्ष इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे तथा राज्य सरकार, तब, संहिता के उपबंधों अनुसार रिक्तियों को भरने हेतु उपाय करेगी।
35. **सदस्यता का समाप्त होना—** यदि बोर्ड का कोई सदस्य, अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना, तीन लगातार बैठकों में उपस्थित होने में असफल हो जाता है, तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।
36. **निरर्हता—** (1) **कोई** व्यक्ति बोर्ड का सदस्य होने तथा सदस्य के रूप में नामित होने के लिए निरर्हित होगा;
- (i) **यदि** उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित (**पागल**) घोषित कर दिया जाता है; या
- (ii) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या
- (iii) यदि संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा बाद में उसे नैतिक अधमता के अपराध का दोषी पाया गया है।
- (2) **यदि** यह प्रश्न उठता है कि क्या निरर्हता उप-नियम (1) के अन्तर्गत हुई या नहीं तो इस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय—5

बकायों, दावों इत्यादि का भुगतान

37. धारा 44 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन असंवितरित बकाया का भुगतान— जब संहिता के अधीन कर्मचारी को देय कोई राशि उसकी मृत्यु अथवा उसका ठिकाने का पता न होने के कारण उसको देनी बकाया है, तथा इस राशि के कर्मचारी को देय होने की

तारीख से तीन माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामिति को यह राशि भुगतान नहीं की जा सकी, तो नियोक्ता द्वारा यह राशि श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पास जमा की जाएगी, जो उसके पास राशि जमा कराने की तारीख के दो माह अन्दर कर्मचारी द्वारा नामित व्यक्ति की पहचान का पता लगाकर उस राशि का वितरण करेगा।

38. धारा 44 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन असंवितरित बकाया जमा करना— (1)

जहां इस संहिता के अधीन किसी कर्मचारी को देय कोई राशि कर्मचारी द्वारा नामांकन नहीं करने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से असंवितरित रह जाती है, तथा इस राशि के देय होने की तारीख से छह: माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामिति को इस राशि का भुगतान नहीं किया जा सका, तो नियोक्ता द्वारा ऐसी सम्पूर्ण राशि छह: माह की उक्त अवधि के अंतिम दिन से पन्द्रह दिन के अवसान से पहले श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पास जमा की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित राशि नियोक्ता द्वारा श्रम आयुक्त /संयुक्त श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पास बैंक अंतरण द्वारा या ऐसे श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आहिरत भारत के किसी अनुसूचित बैंक से अभिप्राप्त रेखंकित (क्रास) डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी।

39. धारा 44 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन असंवितरित देयों के निपटान की

रीति— (1) नियम 37 के उप-नियम (1) में संदर्भित राशि जिसे इसमें इसके पश्चात इस नियम में, राशि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश/संयुक्त श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पास जमा राशि उसी के पास रहेगी तथा वह उसे केन्द्र अथवा राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेशित अथवा किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में रखेगा।

(2) श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश यथाशक्य शीघ्र राशि से सम्बन्धित विवरणों के साथ, जिसे सूचनार्थ वह प्रर्याप्त समझें, नोटिस बोर्ड पर न्यूनतम पन्द्रह दिन के लिए नोटिस प्रदर्शित करेगा तथा क्षेत्र में जिसमें असंवितरित मजदूरी अर्जित की गई थी, उसमें सामान्यतः समझी जाने वाली भाषाओं में परिचालित हो रहे किन्हीं दो समाचारपत्रों में भी इस नोटिस को प्रकाशित करेगा।

(3) उप-नियम (4) के उपबंध के अधीन, श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश यथास्थिति नामिति अथवा उस व्यक्ति को जिसने उस राशि का दावा किया है, तथा जिसके पक्ष में श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश में सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् राशि भुगतान करने का निर्णय किया है, राशि जारी करेगा।

(4) यदि यह असंवितरित राशि सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत रहती है, तो इसका निपटान इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्देशित रीति से किया जाएगा।

अध्याय-6

प्ररूप, रजिस्टर और मजदूरी पर्ची

40. एकल आवेदन का प्ररूप— धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन प्ररूप-II में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ ऐसे प्ररूप में एकल आवेदन दायर किया जा सकेगा।
41. अपील— धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप-III में अपीलकर्ता द्वारा वर्णित दस्तावेजों के साथ डिमांड ड्राफ्ट/इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्मित राशि के साथ ऐसे प्ररूप में सम्बन्धित क्षेत्राधिकार वाले अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।
42. रजिस्टर इत्यादि का प्ररूप— (1) धारा 19 की उपधारा (8) में संदर्भित सभी जुर्माने और उनकी वसूलियों का विवरण नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में इलैक्ट्रॉनिक रूप में या अन्य किसी रूप में रखा जाएगा तथा उपधारा (8) में संदर्भित प्राधिकारी श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश होगा।
- (2) धारा 21 की उपधारा (3) में संदर्भित सभी कटौतियां और समस्त वसूलियों का विवरण प्ररूप-I के रूप में नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा अन्यथा रखा जाएगा।
- (3) किसी भी स्थापन का प्रत्येक नियोक्ता जिस पर संहिता लागू होती है, वह धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप-I और प्ररूप-IV में इलैक्ट्रॉनिक या अन्य किसी रूप में

रजिस्टर रखेगा।

43. मजदूरी (स्लिप)– प्रत्येक नियोक्ता मजदूरी के भुगतान के समय या उससे पहले धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप–(V) में अपने कर्मचारियों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से अन्य किसी रूप में जारी करेगा।

44. धारा 56 की उपधारा–(1) के अधीन जुर्माना अधीरोपित करने की रीति–(1) कोई अभियुक्त व्यक्ति यदि धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन अपराध का शमन करने की वांछा रखता है तो वह उक्त उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी को प्ररूप–4 में इलैक्ट्रॉनिक रूप से या अन्य किसी रूप में आवेदन कर सकेगा।

(2) उप–नियम (1) में संदर्भित राजपत्रित अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर उसका यह समाधान होने पर कि यह अपराध संहिता के अधीन शमनयोग्य है या नहीं और यदि अपराध शमनयोग्य है तथा अभियुक्त व्यक्ति शमन के लिए सहमत हों जाता है संहिता के अधीन ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत राशि पर अपराध सुलह कर लेता है जिसका ऐसे अधिकारी द्वारा जारी शमन आदेश निर्दिष्ट समय–सीमा में शमन का व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाना है।

अध्याय–7

विविध

45. मजदूरी का समय पर भुगतान– जहां कर्मचारी किसी स्थापन में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हैं वहां, वह कम्पनी या फर्म या संघ या कोई अन्य व्यक्ति, जो उस स्थापन का मालिक है, ठेकेदार को यथास्थिति, उसे या उसके द्वारा देय राशि का भुगतान मजदूरी के भुगतान की तारीख से पहले करेगा ताकि कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान धारा 17 के उपबंधो के अनुसार निश्चित रूप से किया जा सके।

स्पष्टीकरण:– इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द “फर्म” का वहीं अर्थ होगा जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में है।

46. निरीक्षण योजना:— संहिता एवं इन नियमों के प्रयोजनार्थ, श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से निरीक्षण योजना बनाई जाएगी।

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)3-2/2018 तारीख, शिमला-2

07.07.2021

- 1 सलहाकार एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव, प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 5 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्श एव अतिरिक्त सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश ।
- 8 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 9 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 10 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 11 गार्ड फाईल ।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)

प्ररूप-I

(नियम 16 और 42 देखें)

मजदूरी, अतिकाल भत्ता, जुर्माना, नुकसान और क्षति के कटौती का रजिस्टर

स्थापन का नाम:

नियोक्ता का नाम:

स्वामी का नाम:

नियोक्ता पैन्/टैन:

श्रम पहचान संख्या (एलआईएम)

कर्मचारी रजिस्टर में कम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम/ विभाग	मजदूरी के भुगतान की अवधि (मासिक/ पाक्षिक/ सप्ताहिक/ दैनिक /खंड मे रेटेड)	वेतन की अवधि से... तक।	अवधि के दौरान कार्य किए गए दिवसों की कुल संख्या।	कुल अतिकालिक ओवरटाईम (काम किए गए घंटे अथवा खंड कामगारों के मामले में उत्पादन)	मजदूरी की दरें		
							मूल मजदूरी	मंहगाई	भत्ते
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अतिकाल से आय	कृत्यों एवं चूक की प्रकृति जिसके लिए जुर्माना अधिरोपित किया गया तारीख से सहित।	अधिरोपित जुर्माने की राशि	कर्मचारी की उपेक्षा अथवा व्यतिक्रम से नियोक्ता को होने वाली क्षति एवं नुकसान।	मजदूरी से कटौती की राशि।	भुगतान किए गए मजदूरी की कुल राशि।	भुगतान की तारीख।	उपस्थिति		
							तारीख	हस्ताक्षर	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

प्ररूप-2

(नियम 49 देखें)

(धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन एकल आवेदन)

मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष।

.....के लिस क्षेत्र.....

आवेदन संख्या.....20.....का क,ख,ग

(संख्या) का उल्लेख करें और-----अन्य के मध्य आवेदक

(संबद्ध कर्मचारियों अथवा रजिस्ट्रीकृत व्यापार यूनियन अथवा निरिक्षक एवं सुविधाप्रदाता के माध्यम से)

पता -----

और

-----क्ष,त्र,ज्ञ

पता-----

के बीच

इस आवेदन में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:

- (1) आवेदक जिनका (जिनके) नाम संलग्न अनुसूची में दिए गए है, -----में शामिल (कार्यो की प्रकृति जो मजदूरी की संहिता, 2019 द्वारा आच्छदित होती है/हैं।) श्री / मैसर्स-----के----- (प्रतिष्ठान) में -----से-----तक----- (प्रवर्ग) के रूप में नियुक्त किया गया था।/ है।
- (2) प्रतिवादी मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 2 (1) के अर्थ के अन्तर्गत नियोक्ता है/हैं।
- (3) (क) आवेदक (आवेदकों) को-----से-----तक की अवधि के लिए-----रूपये प्रतिदिन के हिसाब से इस संहिता के अन्तर्गत कर्मचारी (यों) की उनकी प्रवर्ग (प्रवर्गों) के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों से कम की मजदूरी की गई है।
- (ख) आवेदक (कों) को -----से-----तक विश्राम के सप्ताहिक दिनों के

लिए-----रूपये प्रतिदिन की मजदूरी संदत की गई है।

(ग) आवेदक (कों) को -----से -----तक की अवधि के लिए अतिकाल दर (रों) पर मजदूरी का संदत नहीं की गई है।

(घ) आवेदक (कों) को -----से -----तक की अवधि के लिए मजदूरी संदत नहीं की गई है।

(ङ) इस आवेदन से संलग्न उपबंध में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के अनुसार, कटौतियां, जो संहिता के उल्लघन में है, आवेदक/आवेदकों की मजदूरी से कर ली गई है।

(च) आवेदक (कों) को लेखा वर्ष-----के लिए न्यूनतम बोनस संदत नहीं किया गया है।

(4) आवेदक प्रत्येक राशि पर स्वयं द्वारा मांगी गई राहत का मूल्य निम्नानुसार आकलित करता/करते है।

(क) -----रूपये

(ख) -----रूपये

(ग) -----रूपये

कुल-----रूपये

(5) अतः आवेदक अनुरोध करता/करते हैं कि मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45(2) के अधीन निम्नलिखित के लिए निदेश जारी किया जाए;

(क) संहिता के अधीन देय मजदूरी और वास्तव में संदेय की गई मजदूरी के बीच के अन्तर का संदाय।

(ख) विश्राम के दिवसों के लिए प्रतिपूर्ति का संदाय।

(ग) अतिकाल दरों पर मजदूरी का संदाय।

(घ) -----रूपये का प्रतिकर।

(6) आवेदक एतद्वारा यह घोषणा करता है/करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य उनकी अधिकतम जानकारी विश्वास और सूचना के अनुसार सत्य है।

तारीख-----

नियुक्त किए गए व्यक्ति (यों) अथवा

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार यूनियन द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी अथवा निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान।

टिप्पणी: आवेदक, यदि अपेक्षित हो, तो इस आवेदन के साथ अन्तर्विष्ट ब्यौरों को संलग्न कर सकता है/सकते हैं।

प्ररूप-3

(नियम 41 देखें)

मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन अपील प्राधिकारी के समक्ष मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 49 (1) के अधीन अपील

क ख ग

पता-----अपीलकर्ता

बनाम

ग घ ङ

पता-----प्रतिवादी

अपील का ब्यौरा:

1. उस आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध अपील की गई है:

संख्या और तारीख:

प्राधिकारी जिसमें प्रश्नगत आदेश पारित किया है:

प्रदान की गई राशि:

प्रदान किया गया प्रतिकर, यदि कोई हो:

2. मामले के तथ्य:

(इसमें तथ्यों का कालक्रमानुसार एक संक्षिप्त विवरण दें, जहां तक सम्भव हो प्रत्येक पैरों में एक अलग मामले अथवा तथ्य का उल्लेख किया जाए)

3. अपील के आधार:

4. किसी अन्य न्यायालय अथवा किसी अपीलीय प्राधिकारी के पास पहले से कोई मामला दायर या लम्बित न हों।

अपीलकर्ता और यह घोषणा करता है कि उसने इस मामले की बाबत जिसमें यह अपील की गई है, पहले कोई अपील, रिट याचिका अथवा वाद किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर नहीं किया है और न ही ऐसी कोई अपील, रिट याचिका या वाद उनमें से किसी के पास लम्बित है।

5. मांगी गई राहत

ऊपर उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत प्रदान करने का अनुरोध करता है:—

नीचे मांगी गई राहत (तों) का उल्लेख करें

6. अनुलग्नकों की सूची:

1.

2.

3.

4.

.....

तारीख:

स्थान:

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग के लिए

.....

दायर करने की तारीख

अथवा

डाक द्वारा प्राप्त करने की तारीख

रजिस्ट्रीकरण संख्या

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्ररूप-4

(नियम 42 (3) देखें)

कर्मचारी रजिस्टर

स्थापन का नाम:

नियोक्ता का नाम:

स्वामी का नाम:

नियोक्ता का पैन/टैन

श्रम पहचान संख्या (एलआईएन):

क्रम संख्या	कर्मचारी कोड	नाम	उप-नाम	लिंग	पिता / पति / पत्नी का नाम	जन्म तिथि	राष्ट्रीयता	शैक्षणिक स्तर	कार्यग्रहण की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

पदनाम	श्रेणी (एचएम/एस /एस/एम)	रोजगार का प्रकार	मोबाइल संख्या	यूएन	पैन	ईएसआईसी आईपी संख्या	आधार	बैंक खाता संख्या	बैंक
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

शाखा (आई एफएससी)	वर्तमान पता	स्थायी पता	सेवा पुस्तिका संख्या	छोडने की तारीख	छोडने का कारण	पहचान चिन्ह	फोटो	नमूना हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान	टिप्पणीयां
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

प्ररूप-5
(नियम 43 देखें)
मजदूरी पर्ची

जारी करने की तारीख:

स्थापन का नाम.....पता.....अवधि.....

1. कर्मचारी का नाम:
2. पिता/पति/पत्नी का नाम:
3. पदनाम:
4. यूएएन:
5. बैंक खाता संख्या:
6. मजदूरी अवधि:
7. संदेय मजदूरी की दर: क.) मूल ख.) मंहगाई भत्ता: ग.) अन्य भत्ते
8. कुल उपस्थिति/किए गए कार्यों की (युनिट)
9. अतिकाल मजदूरी:
10. संदेय सकल मजदूरी:
11. कुल कटौती: क.) भविष्य निधि: ख.) ईएसआई: ग.) अन्य
12. संदेय की गई कुल मजदूरी

नियोक्ता/वेतन प्रभारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-6

(नियम 44 देखें)

अपराध के शमन के लिए धारा 56 की उपधारा (4) के अधीन आवेदन

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति/पत्नी का नाम :
3. आवेदक का पता :
4. अपराध के विवरण की विशिष्टियां
.....
.....
5. संहिता की धारा जिसके अधीन अपराध किया गया है
.....
6. इस संहिता के अधीन अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माना
.....
7. क्या आवेदक के विरुद्ध कोई अभियोजन लंबित है या नहीं
.....
8. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था। यदि हां, तो, पहले अपराध का पूरा ब्यौरा दें।
.....
.....
.....
9. कोई अन्य सूचना जो आवेदक देने की वांछा रखता है।
.....
.....
.....

आवेदक

(नाम और हस्ताक्षर)

अनुसूची क
(नियम 4 (3) देखें)

क्रम संख्या	अकुशल
1	बेलदार
2	ग्वाला
3	च्रवाहा
4	क्लीनर (मोटर शेड, ट्रैक्टर, पशु-अहाता, एम.टी.)
5	चारा इक्कट्टा करना
6	डेयरी कुली
7	मजदूर (खाद, डेयरी में फूस के ढेर लगाना, सिंचाई, गोबर के ढेर लगाना, दूध दोहने का कक्ष, राशन कक्ष स्टोर, मलेरिया-रोधी, एम.आर.)
8	चालक (खच्चर, बैल, ऊँट, गधा)
9	ड्रेसर
10	चालक (बैल, खच्चर)
11	गड्डेरिया (ग्रेजलर)
12	डेयरी कामगार
13	(स्टोर मजदूर)
14	वाहक (पत्थर)
15	तोडना (दस्ती औजारों के इस्तेमाल से)

16	हैल्पर
17	संदेशवाहक (कार्यालय)
18	माली
19	सईस
20	फूस बांधना और ले जाना
21	स्वीपर
22	गट्टर तोडना और ले जाना
23	तुलाईकार (गट्टर, पल्ली)
24	पानी वाला
25	सईस
26	ट्राली मैन
27	वाल्व कर्मी
28	पहरेदार
29	सफेदी करने वाला
30	लक्कड़हारा
31	लक्कड़हारा (स्त्री)
32	बोरी मैन
33	कोयला कर्मी
34	कंडेनसर,
35	परिचारक,
36	घास काटने वाला

37	मूच्छड़ जमादार
38	कंडेनसर परिचालक
39	शन्टर्स
40	टरनर
41	बजरी फ़ैलाने वाला
42	कूटने वाली महिला
43	बेल-महिला
44	चेन कर्मी
45	वोट मैन
46	बकित मैन
47	श्रमिक (बॉयलर, पशु अहाता, खेती, सामान्य भार चढाना-उतारना, बंडिंग, कार्टिंग-फर्टिलाइजर, हार्वेस्टिंग, विविध बीज-अंकुरण, बीज बोना, छाजन, प्रत्यरोपन, खरपतवार की छंटाई)
48	क्लीनर (क्रेन, ट्रक, राख के गड्ढों के लिए सुलगता कोयला)
49	कार्टमैन
50	रखवाल (पुल) केयर टेकर (बीज)
51	वाहक (जल)
52	चौकीदार
53	कंकरीट (हाथ से मिलाने वाला)
54	दफादार
55	चालक (बैल, ऊँट, गधा, खच्चर)

56	फलैग मैन
57	फलैगमैन (ब्लास्ट ट्रेन)
58	मशीनों पर काम न करने वाला खलासी
59	गैंगमैन
60	गेटिंगमैन (स्थायी मार्ग)
61	हैंडल मैन, जम्पर मैन
62	कमीन (महिला कामगार)
63	खलास
64	पुल (ब्रीज)
65	इलैक्ट्रीकल
66	मैरिन
67	मोपलाह
68	स्टोर
69	स्टीम रोड
70	शेयर
71	रॉलर सर्वेक्षण
72	श्रमिक (बगीचा)
73	मजदूर
74	छिद्र काटने वाला
75	लॉरी प्रशिक्षु
76	पेट्रोलमैन

77	सर्चर
78	सिग्नल मैन
79	स्ट्राइकर
80	वैक्स नियंत्रक
81	क्लीनर
82	ड्रेसर/ड्रेसिंग मजदूर
83	लोडर
84	मजदूर (पुरुष/महिला)
85	संदेशवाहक (पुरुष/महिला)
86	ट्रेमर
87	रखववाल (कॉपर, क्रोमाइट और ग्रेफाइट खानों के अलावा जहां यह अर्धकुशल है)
88	कार्यालय चपरासी/चपरासी (बॉक्साइट खानों के अलावा)
89	स्वीपर (पुरुष/महिला)
90	संवाहक
91	नंबर टेकर
92	ट्रॉली ट्राइपर
93	वॉटर कैरियर
94	मृदा कटर
95	सर्वेक्षण खलासी
96	गेट मैन

97	कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला)
98	विखण्डन भण्डार (स्टाफ)
99	लैम्पमैन
100	बेलदार / बेलदार (कैंटीन)
101	कुली
102	चपरासी
103	रसोइये का सहायक
104	ऑफिस बॉय
105	खदान कामगार
106	जैली बनाने वाला
107	अधि भारित अपसारक (रिमबर)
108	अपशिष्ट अपसारक मजदूर
109	उतारने वाला
110	उत्खनन श्रमिक
111	खोदने वाला
112	कसाई
113	परिचालक
114	लॉरी सहायक
115	सतही लोडर
116	लक्कड़हारा
117	सतही मुकर

118	भूमिगत मुकर
119	स्ट्राइकर (मोपलाह गैंग)
120	टॉल बॉय
121	टाइल
122	लादने और उतारने में नियोजित व्यक्ति
123	किसी भी नाम से ज्ञात अकुशल प्रकृति के स्वीपिंग और क्लीनिंग तथा अन्य वर्गों में नियोजित व्यक्ति

क्रम संख्या	अर्धकुषल
1	सहायक (चौकीदार)
2	परिचारक (बुल-काल्विंग लाइन्स, चौकीदार, चाफ कटर, होस्टल, शुष्क स्टॉक, अनाज भंजक, पम्प, सीकलाइन)
3	अस्तबल, अहाता स्टॉक
4	सहायक-नलसाज
5	परिचारक
6	भिस्ति
7	ब्रान्डर
8	बुलमैन
9	बटरमैन
10	कोचमैन
11	मोची
12	खेतिहर

13	दफ्तरी
14	डिलीवरीमैन
15	धोबी
16	ड्रेसर
17	फायरमैन
18	ग्वाला
19	हैमरमैन
20	हैल्पर (लुहार)
21	हैल्पर
22	जमादार (स्टैण्ड)
23	जमादार
24	खलासी
25	माली वरिष्ठ
26	मैट / मिस्त्री
27	मजदूर (शिक्षित)
28	नलबन्द
29	ऑयलमैन
30	हलवाला
31	वीटेकर्स
32	पर्यवेक्षक
33	छप्पर

34	वाल्वमैन
35	वाल्वमैन (वरिष्ठ)
36	टिन केवलें लगाने वाला वायरमैन
37	रसोइया
38	डेन्डी
39	फ़ाश
40	आरी कामगार
41	हैल्पर (लॉको-क्रेन/ट्रक)
42	मांझी (वोटमैन)
43	वेलचावाला
44	मुक्काडेम (धात्विक बुलडोजर चालक खान विनियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाण-पत्र के बिना)
45	भिस्ति (मुश्त के साथ)
46	बोटमैन (प्रमुख)
47	ब्रेकर
48	ब्रेकर (पत्थर, चट्टान, चट्टान पत्थर, पत्थर धातु)
49	कैनवीवर
50	चेनमैन (मुखिया)
51	चारपाई बुनकर
52	चेकर
53	क़ैकर

54	डॉलीमैन
55	सहायक
56	ड्रिलर
57	सुचालक (त्वचा)
58	उत्खनक
59	फेरोमैन
60	फायरमैन (ईट भट्टा, वाष्प रोड रोलर)
61	द्वारपाल
62	घरामी
63	क्लासमैन
64	ग्रेटर
65	ग्रीजर एवं फायरमैन
66	गप्रइन्डर
67	हैमरमैन
68	हैल्पर (कारीगर)
69	हैल्पर (आराकस)
70	कीमैन
71	खलासी (मुख्य पर्यवेक्षक, रिक्टर्स—मोपलाह गैंग, पर्यवेक्षी)
72	श्रमिक (चट्टान काटना)
73	लास्कर
74	माली (प्रमुख)

75	स्टॉकर्स और बॉयलर मैन
76	थूमबामैन (फावडा कामगार)
77	टिनडेल्स
78	ट्रॉलीमैन (हैड मोटर)
79	फिटर (सहायक अर्ध-कुशल)
80	जमादार (अर्धकुशल)
81	मेट (पत्थर)
82	कसाब
83	खलासी (संरचनात्मक)
84	मसालची पी. एम. मेट्स
85	खनिक
86	अप्रशिक्षित मेट/खनन मेट (मेटलीफेरस माइन्स रेग्यूलेशन, 1961) के अधीन सक्षमता प्रमाण पत्र के बिना मेट
87	बटलर/रसोइया
88	ब्रेकर (मशीनी उपकरणों के इस्तेमाल उपयोग से)
89	शिशु सदन आया/आया/अप्रशिक्षित शिशु-सदन परिचारक
90	सहायक ड्रिलर
91	ऑयलमैन/ऑयलर
92	चौकीदार/वॉचमैन
93	हैल्पर (राजमिस्त्री, बढई, लुहार)
94	टिन्डेल्स

95	टोपाज़
96	टोपकार (बड़ा पत्थर भंजक)
97	ट्राली जमादार
98	विचमैन
99	उपस्थिति-रखवाल
100	सहायक वायरमैन
101	मेट
102	मेट (लुहार, सड़क, बढई)
103	ईजन ड्राइवर और / या फीडर
104	फिटर
105	गैंग
106	मजदूर राजमिस्त्री
107	स्थायी मार्ग
108	पम्प-चालक, टरनर
109	मजदूर (हैवी-वेट)
110	चार्ज-मैन
111	मिस्त्री (मुखिया)
112	मुकाडम
113	रात्रि-गार्ड
114	रनर (पोस्ट डाक)
115	ऑयलमैन

116	खदान कर्मी
117	खदान परिचारक
118	स्टॉनमैन
119	स्टॉकर
120	थैचर
121	पम्प परिचारक
122	बियरर
123	ब्रेकमैन
124	क्राउल्डरमैन
125	प्रयोगशाला सहायक
126	पॉइन्टसमैन सेनकम्मी
127	पत्थर खान तथा अर्ध-कुशल प्रकृति की किसी भी नाम से ज्ञात श्रेणियां
क्रम संख्या	कुशल
1	शिल्पकार (वर्ग-II, III, IV)
2	लुहार
3	लुहार (वर्ग-II)
4	बॉयलरमैन
5	बढ़ई
6	बढ़ई (वर्ग-II) बढ़ई एवं लुहार
7	चौधरी
8	चालक

9	चालक (इंजिन ट्रैक्टर, एम. टी. मोटर)
10	इलैक्ट्रीशियन
11	फिटर
12	राजमिस्त्री
13	राजमिस्त्री वर्ग-II
14	मशीन हैण्ड (वर्ग- II, III, IV)
15	मशीनरमैन
16	मेट ग्रेड -I (वरिष्ठ)
17	मैकेनिक
18	मिल्क राइटर
19	मिस्त्री (प्रमुख)
20	मॉउलडर
21	मस्टर राइटर
22	प्रचालक ऑपरेटर (ट्यूबवेल)
23	पेन्टर
24	नलसाज
25	बेल्डर
26	पोशिशसाज (अपहोलसटेरर)
27	वायरमैन
28	चिपर
29	चिपर-एवं-ग्राइन्डर

30	रसोइया (प्रमुख)
31	ड्रिलर
32	ड्रिलर (कुआँ खोदना)
33	चालक (लोको/ (ट्रक)
34	इलैक्ट्रीशियन (सहायक)
35	मेकेनिक (ट्यूबवेल)
36	मिस्त्री (स्टेल, ट्यूबवेल, टेलीफोन)
37	मीटर रीडर
38	मौसम अवलोकनकर्ता नवघानी
39	ऑपरेटर/संचालक (बैचिंग संयंत्र, सिनेमा परियोजना, क्लैम्प शेल्फ, कम्प्रेसर, ग्रेन, डोरिक, डीजल ईंजन, डोजर, ड्रेगलिंग ड्रिल डम्बर, उत्खनक, फॉर्क लिफ्ट जेनेरेटर, ग्रेडर, जैक हैमर एवं पेयमेन्ट ब्रेकर लोडर, पम्प, पाइल ड्राइविंग, स्क्वेपर, स्क्रीनिंग संयंत्र, शोवल, ट्रेक्टर, वाइब्रेटर, वेट बेचर, रेलवे गार्ड, मरम्मत (बेटरी))
40	शार्पर/स्लोटर
41	स्प्रेयर (अशाल्ट) स्टेशन मास्टर
42	पर्यवेक्षक (सिल्ट)
43	ट्रेड्स-मैन
44	ट्रेन जांचकर्ता
45	टरनर/मिलर
46	टायरवल्केनाइजर
47	आराकस

48	आराकस (चयन ग्रेड वर्ग-II) सेंरग
49	सेंरगपाइल
50	बॉयलर सहित ड्राइविंग पेनटून्स
51	शैप्समैन
52	पारी-प्रभारी
53	स्प्रेयमैन
54	स्प्रेयमैन (सड़क)
55	पत्थर काटने वाला
56	पत्थर काटने वाला (चयन ग्रेड, ग्रेड-II, वर्ग-II)
57	स्टॉन चिस्लर
58	स्टॉन चिस्लर (वर्ग-II)
59	स्टॉन ब्लास्टरर
60	उप-पर्यवेक्षक (निर्हरक)
61	पर्यवेक्षक
62	पम्प चालक
63	पम्प चालक (चयन ग्रेड), ग्रेड-II और III, वर्ग-II
64	पम्प चालक (चयन ग्रेड, पी.ई., चालक)
65	पम्पमैन
66	पम्पमैन (सहायक)
67	नलसाज

68	पोलीशर (स्प्रे के साथ) ग्रेड-II
69	रतन मैन
70	रिविट कटर (सहायक)
71	रिविटर
72	रिविटर (कटर)
73	सड़क निरीक्षक ग्रेड-II , रेलवे प्लेट लेयर
74	रोड बेन्डर
75	हॉलेज-ऑपरेटर / संचालक
76	औषधालय परिचारक
77	वर्क सकर
78	अभ्रक कटर ग्रेड-I
79	ड्रेसर ग्रेड-I अभ्रक
80	पर्यवेक्षी फायरमैन
81	खानों मे केवल फायरमैन
82	कम्प्रेसर चालक
83	पम्प मैन चालक 96, अभ्रक खानों में ग्राइन्डर
84	पर्यवेक्षक (सहायक)
85	दर्जी
86	दर्जी (तोशक)
87	ट्रान्स्प्रेयर
88	टार मैन

89	लाइन मैन
90	टाइलर वर्ग-II
91	दीवार (फर्श, छत)
92	टाइलर (चयन ग्रेड)
93	टिन-स्मिथ
94	टिन स्मिथ (चयन ग्रेड, ग्रेड-II और III, वर्ग-II)
95	वैल सिन्कर
96	सहायक मिस्त्री
97	आर्मेचर वाइन्डर ग्रेड- ग्रेड-II और III
98	भण्डारी
99	लुहार
100	लुहार (चयन ग्रेड, ग्रेड-II, III, वर्ग-II और III)
101	बॉयलर मैन
102	बॉयलरमैन ग्रेड -II और III
103	बॉयलर फोरमैन ग्रेड- II
104	कार्य (सहायक)
105	त्रिकलेयर
106	त्रिकलेयर (चयन वर्ग-II)
107	ब्लास्टर
108	चौकीदार (प्रमुख)

109	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र)
110	बढ़ई
111	बढ़ई (चयन ग्रेड, ग्रेड-II और III, वर्ग-I और III सहायक)
112	बी.आई.एम.मार्ग
113	केबिनेट बनाने वाला
114	केनमैन
115	सेलोटैक्स
116	कटर मेकर चार्गमेन, (वर्ग- II और वर्ग III , बढ़ई साधारण)
117	चेकदर (कनिष्ठ)
118	चिक निर्माता
119	चिक मैन (कनिष्ठ) कंक्रीट मिक्सजयोर मिक्शर
120	कंक्रीट मिक्सचर प्रचालक
121	मोची
122	कोरमेकर
123	चालक
124	मोटर वाहन चालक
125	मोटर वाहन चयन ग्रेड
126	मोटर लोरी
127	मोटर लोरी ग्रेड-II
128	लोरी ग्रेड-II
129	डीजल ईंजन

130	डीजल ईंजन ग्रेड-II
131	मैकेनिकल रोड रोलर आईसी. और सीमेंट मिक्सर आदि
132	रोड रोलर
133	रोड रोलर चालक ग्रेड-II
134	चालक (इंजन स्टेटिक स्टोन केशर) ट्रैक्टर/बुल डोजर, स्टीम रोड रोलर, वाटर पम्प, मैकेनिकल सहायक, रोड रोलर, मैकेनिकल, स्टीम क्रेन, बुल डॉजर, मैकेनिकल, सहित ट्रैक्टर, परिवहन, ईंजन स्टेटिक और रोड रोलर बॉयलर परिचर
135	ईंजन परिचालक (स्टोन केशर मैकेनिकल)
136	डिस्टेम्पर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन (ग्रेड-II , वर्ग II और वर्ग III
137	फिटर
138	फिटर (चयन ग्रेड, ग्रेड II और III वर्ग II और III सहायक, पाइप वर्ग II , पाइप लाइन बंद करने वाले लट्ठे)
139	सुदृढीकरण एवं मैकेनिक, मैकेनिक और पलम्बर
140	घरामी (प्रमुख)
141	घलेजियर (शीशा जड़ने वाला)
142	ब्लास्टिंग के लिए होल ड्रिलर
143	जोइनर
144	जोइनर (केबल, केबल ग्रेड-II)
145	लाइनमैन (ग्रेड II III , उच्च टेंशन/निम्न टेंशन)
146	राजमिस्त्री

147	राज मिस्त्री (चयन ग्रेड, ग्रेड II , III और वर्ग बी मिस्त्री)
148	स्टोन (स्टोन वर्ग II , ईट वर्क, स्टोन वर्क)
149	ईट-परत (ब्रिक लेयर)
150	टाइल बिछाना
151	बी.आई.एम. मुक्कदम (प्रमुख)
152	पत्थर काटना
153	साधारण मैकेनिक
154	मैकेनिक
155	मैकेनिक वर्ग II , एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग ग्रेड II)
156	डीजल ग्रेड II
157	रोड रोलर ग्रेड II
158	सहायक (रेडियो)
159	राज मिस्त्री (घरामी)
160	मिस्त्री
161	मिस्त्री ग्रेड II ,एयर कंडीशनिंग ग्रेड II , पी.वे, सर्वे, संतरा कार्य (संकर्म)
162	राज मिस्त्री वर्ग क
163	माउलडर
164	माउलडर (ईट, टाइल)
165	पेंटर
166	पेंटर (चयन ग्रेड, ग्रेड II और III वर्ग II ,सहायक लोटर और पॉलिशर,

	रफ)
167	लेंपक
168	लेंपक (राजमिस्त्री ग्रेड II)
169	पलम्बर
170	पलम्बर (चयन ग्रेड, श्रेणी II, सहायक लोटर और पॉलिशर, रफ)
171	लेंपक
172	लेंपक (राजमिस्त्री ग्रेड II)
173	पलम्बर (चयन ग्रेड, वर्ग II, सहायक वरिष्ठ, जूनियर, मिस्त्री ग्रेड II)
174	पाइपलाइन मिस्त्री
175	पलम्बर एवं फिटर
176	पालिशर
177	पालिशर (तल)
178	सिरधर लठे मन
179	भूविज्ञानी
180	ट्रेलर्स
181	टर्नर
182	गद्दी लगाने वाला
183	अपहोलसटेरर (ग्रेड II और III)
184	पेंटर स्प्रे वर्ग II
185	लक्कड़हारा
186	लक्कड़हारा चयन ग्रेड

187	लकडहारा वर्ग II
188	वर्क सिरकार
189	बेल्डर
190	एयरविनेह होलेज परिचालक
191	ऑटो इलेक्ट्रीशियन
192	पेंटर
193	लोहार
194	दर्जी
195	कंप्रेसर ऑपरेटर / संचालक
196	ब्लास्टर-शॉट / फाइरेर
197	चालक
198	मुख्य रसोइया
199	चारुमैन
200	बढई
201	कंकीट मिक्सर ऑपरेटर / संचालक
202	कंप्रेसर परिचर
203	एयर कंप्रेसर परिचर
204	ट्रैक्टर चालक
205	वाहन चालक
206	केमिस्ट और सहायक / केमिस्ट
207	सब-ओवरसियर अयोग्य

208	ड्रिलर
209	हैंडहोल ड्रिलर
210	ड्रिल मैकेनिक
211	ड्राइवर ऑटो
212	बिजली मिस्त्री (इलैक्ट्रीशियन)
213	वायर लैस संचालक सहायक फोरमैन
214	फोरमैन
215	फिटर
216	फेरी चालक
217	जारीकर्ता लोको
218	सुपर फोरमैन
219	लहरा संचालक (हॉईस्ट ऑपरेटर)
220	आईएमसीई चालक
221	चालक
222	लोको ड्राइवर
223	लोडर ऑपरेटर / संचालक
224	लाइनमैन
225	मैकेनिक / मशीनिस्ट
226	राजमिस्त्री
227	प्रसाविका
228	टिन से मढ़नेवाला (टिनस्मिथ)

229	सुपरवाइजरी मैकेनिक
230	केवल जिप्सम, बेराइट्स और रॉक फॉस्फेट में पम्प परिचर
231	पम्प ऑपरेटर/चालक
232	(मेटलीफेरस माइन्स रेग्यूलेशन, 1961) के तहत योग्यता प्रमाण पत्र के साथ खनन मेट
233	मिस्ट्री
234	कुशल मजदूर
235	टर्नर
236	वरिष्ठ मैकेनिक
237	पाइप फिटर
238	पर्यवेक्षक
239	ड्राफ्ट्स मैन
240	वायरमैन
241	टिम्बर मैन/टिम्बर मिस्ट्री, इलैक्ट्र
242	स्टोन केशर संचालक/ऑपरेटर
243	कशर संचालक/ऑपरेटर
244	माउलडर
245	बेल्डर
246	ऑपरेटर
247	कार्य मिस्ट्री
248	ईजन चालक

249	खनन ईजन चालक ग्रेड-II
250	इंजनमैन
251	वाल्वमैन
252	कटर
253	विंडिंग इंजन चालक ग्रेड-II
254	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र)/मुख्य चौकीदार
255	फावरा संचालक/ऑपरेटर
256	लिम्को लोडर संचालक/ऑपरेटर
257	भूतल पर्यवेक्षक
258	डोजर संचालक/ऑपरेटर
259	कंप्रेसर ड्रिलर
260	डम्पर ट्रैक्टर ऑपरेटर (संचालक)
261	बॉयलर मैन (प्रमाण पत्र सहित)
262	मशीनरी परिचर
263	एयर कंडिशन मैकेनिक
264	ब्रेच परिचर केवल मैग्रेसाइठ, मैगनीज और मीका माइन्स में
265	पावर शावल ऑपरेटर (संचालक)
266	पावर और पम्प हाउस प्रचालक (संचालक)
267	खान ग्रेड-1
268	ट्रैक्टर ऑपरेटर 80, टब रिपेयरर 81, खराद मिस्त्री
269	स्टेशनरी ईजन परिचर 83 जेनरेटर ऑपरेटर 84, लोडिंग फोरमैन

270	डीजल मैकेनिक
271	फेरो प्रिंटर एवं अध्यक्ष
272	व्हाइट वॉशिंग और कलर वाशिंग मैन
273	ऑपरेटर न्यूनेट्रिक उपकरण, ऑपरेटर (फिटर)
274	बोरमैन
275	बोरर
276	वायरमैन (ग्रेड II और III , मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल)
277	व्हाइट वॉशर
278	व्हाइट वॉशर (चयन ग्रेड, वर्ग)
279	वायरमैन
280	बेल्डर (वर्ग II , ब्रिज कार्य)
281	बेल्डर गैस
282	मुक्कतम (मेटलीफेरस माइन्स रेग्यूलेशन, 1961) के तहत सक्षमता प्रमाण पत्र
283	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र) और अन्य प्रवर्ग जिस भी नाम से ज्ञात हो जो कुशल प्रकृति के है
284	सहायक (फार्म)
285	सहायक (कैशियर)
286	पुस्तकालय अध्यक्ष
287	टेलेक्स या टेलीफोन ऑपरेटर
288	हिन्दी अनुवादक

289	लेखा लिपिक
290	लिपिक
291	कम्प्यूटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर
292	टेलीफोन ऑपरेटर, टाइपिस्ट
293	स्टोर पचिरर
294	एम.सी. लिपिक
295	मुन्शी (मैट्रिकुलेट, गैर- मैट्रिकुलेट)
296	स्टोर लिपिक (मैट्रिकुलेट, गैर- मैट्रिकुलेट)
297	स्टोर कीपर ग्रेड I , II (मैट्रिकुलेट)
298	टाइम कीपर
299	टाइम कीपर (मैट्रिकुलेट, गैर- मैट्रिकुलेट)
300	बुक कीपर
301	कार्य मुन्शी
302	कार्य मुन्शी (अधीनस्थ)
303	पत्रिका लिपिक
304	टेलर लिपिक
305	स्टोर लिपिक
306	टैली लिपिक
307	स्टोर जारीकर्ता
308	औजार धारक
309	कम्प्यूटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर

310	रिकॉर्ड धारक
311	अन्वेषक (ट्रेसर)
312	फाइल लिपिक
313	रजिस्टर कीपर
314	टाइम कीपर
315	लिपिक
316	मुन्शी
317	टाइपिस्ट और अन्य प्रवर्ग जिस भी नाम से ज्ञात हैं जो लिपिक प्रकृति के हैं
क्रम संख्या	अत्यधिक कुशल
1	आर्टिफिशियल वर्ग-I
2	लोहार वर्ग-I
3	बढई वर्ग-I
4	मशीन
5	हस्त वर्ग-I
6	राजमिस्त्री वर्ग-I
7	मैकेनिक (वरिष्ठ)
8	पेंटर (ग्रेड-I वर्ग-I स्प्रे) प्लास्टर (राजमिस्त्री) वर्ग-I
9	प्लम्बर (मुख्या, वर्ग-I)
10	मिस्त्री ग्रेड-I

11	पॉलिशर (स्प्रे ग्रेड-I सहित)
12	रोड इन्सपेक्टर ग्रेड-I
13	लक्कड़हारा वर्ग-I
14	स्टोन कटार श्रेणी -I
15	स्टोन कटर वर्ग-I
16	स्टोन चिसलर वर्ग-I
17	स्टोन मेसन वर्ग-I
18	उप-ओवरसियर (अर्हित)
19	टिलर वर्ग-I
20	टिनस्मिथ ग्रेड-I और वर्ग -I
21	गद्दी लगाने वाला ग्रेड-I (अपहॉलसटेरर)
22	वार्निश करने वाला वर्ग-I
23	बेल्डर एवं फिटर और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक
24	बेल्डर (गैस) वर्ग-I
25	व्हाइट वॉशर वर्ग-I
26	वायरमैन ग्रेड वर्ग-I
27	लक्कड़हारा वर्ग-I
28	ग्राइंडर (उपकरण) ग्रेड-I
29	प्रचालक (संचालक) बैचिंग प्लांट ग्रेड-I

30	लीडर ग्रेड-I
31	पाइल ड्राइविंग ग्रेड-I
32	पम्प ग्रेड
33	स्केपर ग्रेड-I
34	स्क्रीनिंग प्लांट ग्रेड-I
35	पम्प ग्रेड-I
36	स्केपर ग्रेड-I
37	सुरक्षा गार्ड (सहित)
38	आर्मेचर बिंडर ग्रेड-I
39	लोहार ग्रेड -I और वर्ग-I
40	बॉयलरमैन ग्रेड-I
41	बॉयलर फोरमैन ग्रेड-I
42	ईट (ब्रिक लेयर) (राजगीर)
43	केबल जॉइनर ग्रेड-I
44	बढ़ई ग्रेड -I और वर्ग -I
45	सेलो कटर और डेकोरेटर
46	चार्जमैन वर्ग-I
47	चेकर (वरिष्ठ) ड्राइवर लॉरी ग्रेड-I
48	मोटर लॉरी ग्रेड-I

49	मोटर व्हीकल यान वर्ग -I और डीज़ल ईजन ग्रेड-I
50	रोड रोलर ग्रेड-I
51	पम्प क्लास इलैक्ट्रीशियन ग्रेड-I और श्रेणी -I / ग्रेड-I
52	फिटर (ग्रेड-I , वर्ग-I)
53	पाइप वर्ग-I (प्रमुख)
54	फोरमैन (सहायक) लाइनमैन ग्रेड -I राजमिस्त्री (कुशल ग्रेड-I वर्ग-I)
55	मस्त रिग
56	मैकनिक वर्ग -I और वर्ग-II
57	मैकेनिक (डीजल ग्रेड-I और रोड रोलर ग्रेड-I)
58	एयरकंडीशनर ग्रेड -I वर्ग-I ,मिस्त्री ग्रेड-I
59	मिस्त्री (एयरकंडीशनर ग्रेड-I)
60	ओवरसियर
61	ओवरसियर (वरिष्ठ और कनिष्ठ)
62	ड्रैगलाइन ग्रेड-I
63	ड्रिल ग्रेड-I
64	डम्पर ग्रेड-I
65	खुदाई ग्रेड-I
66	फोर्कलिफ्ट ग्रेड-I
67	जेनरेटर ग्रेड-I

68	रिगर ग्रेड-I
69	रिगर ग्रेड-II
70	चापर/स्लेटर ग्रेड-I
71	फावडा शॉवल और ड्रैगलाइन ट्रैक्टर ग्रेड-I
72	ट्रेडसमैन वर्ग-I
73	टर्नर मिलर ग्रेड-I
74	कार्य (सहायक) ग्रेड-I
75	कम्पाउंडर
76	सर्वेयर (पर्यवेक्षक)
77	बिंडिंग ईंजन चालक
78	ऑपरेटर (भारी मिट्टी उठाने वाली शॉवेल और बुलडोजर)
79	प्रमुख मिस्त्री
80	डिप्लोमा सहित स्टाफ नर्स
81	जैक हैमर से अन्यथा ड्रिल ऑपरेटर
82	सक्षमता प्रमाण सहित विद्युत पर्यवेक्षक
83	अंडरग्रउंड शिफ्ट बॉस
84	मुख्य मैकेनिक
85	अर्हित और अनुभवी बेल्टर
86	मशीन टूल मैकेनिक
87	मैकेनिक/प्लॉट फोरमैन

88	खनन पर्यवेक्षक
89	व्यवसायिक प्रशिक्षण अनुदेशक / शिक्षक
90	मुख्य इलैक्ट्रीशियन
91	लेखापरीक्षक
92	सात साल की सेवा वाले स्टेनो
93	स्टोर प्रभारी
94	शिफ्ट प्रभारी
95	पर्यवेक्षक
96	वॉच और वार्ड के प्रभारी
97	सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र)
98	केन ग्रेड-I
99	डीजल ईंजन ग्रेड-I
100	डोजर ग्रेड-I
101	क्लैप शैल ग्रेड-I
102	कंप्रेसर ग्रेड-I
103	ग्रेडर ग्रेड-I
104	ट्रैक्टर ग्रेड-I
105	वाइब्रेटर ग्रेड-I
106	स्क्रीनिंग प्लांट ग्रेड-I
107	शॉवेल ग्रेड-I

108	शॉवेल और ड्रैगलाइन
109	टायरवेलकुलर ग्रेड-I
110	सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र सहित) और अन्य प्रवर्ग जिन्हे किसी भी नाम से बुलाया जाता है और जो अत्यधिक कुशल प्रकृति के हैं